कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र हेतु खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु प्राप्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक द्वारा स्थानान्तरण हेतु कार्यालयवार दिये गये विकल्पों की विवरण/सूचीः–

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	विकल्प	अभ्युक्ति
1	2		3	4
	सर्व श्री/श्रीमती/कु0			
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी				
1.	संजीव कुमार/20.12.67/मु0नगर	परिकल्प खण्ड, रूड़की	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा पत्रांक सं–22, दिनांक 14.05.2025 द्वारा **वरिष्ठ कार्मिक** होने पर स्थानान्तरण सत्र 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
2.	हरीश चन्द्र सिंह क्वीरा/02.10.65/नैनीताल	सिंचाई खण्ड, रामनगर		
3.	रिशान अली /20.06.1966 /सहारनपुर	सिंचाई खण्ड, कालसी	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05.2025 द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग जनपद देहरादून के अध्यक्ष है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। ये वरिष्ठ कार्मिक है। हृदय की एंजियोप्लाट्री हो रखी है। राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त जनपद शाखा के पदाधिकारियों की सूची मय विज्ञप्ति (छायाप्रति) सहित संलग्न है।
4.	किरन पन्त/01.04.1966 /अल्मोडा	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी		
5.	कालूराम यादव/05.03.66/सहारनपुर/	स्थापना खण्ड, रूड़की	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी आयु 55 वर्ष से अधिक होने के कारण ये वरिष्ठ कार्मिक की श्रेणी में है तथा इनकी सेवानिवृत्ति में मात्र 11 माह अवशेष है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
6.	सोहन लाल बिन्जोला/19.5.69/पौड़ी	नलकूप खण्ड, रामनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में इन्हें 04 वर्ष 08 माह का समय ही हुआ है। **इनकी आयु 56 वर्ष पूर्ण हो चुकी है।** ये हृदय रोग से पीड़ित है। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर स्थानान्तरण अन्यत्र न करने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण अनिवार्य है तो सिंचाई खण्ड रामनगर अथवा सिंचाई खण्ड काशीपुर में करने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा मण्डलीय चिकित्सा परिषद–नैनीताल द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।
7.	रवीन्द्र कुमार भारती/1.9.65/बिजनौर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर		
8.	अनिल कुमार 02.06.1973 हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, रूड़की	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05.2025 द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

			एसोसिएशन सिंचाई विभाग जनपद हरिद्वार के अध्यक्ष है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। दोनों पैरों के घुटने बदले गये है। चलने फिरने में कठिनाई होती है। राज्य मेडिकल बोर्ड उत्तराखण्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न है।	द्वारा प्रदत्त जनपद शाखा के पदाधिकारियों की सूची मय विज्ञप्ति (छायाप्रति) सहित संलग्न है।
9.	दिलशाद अहमद / बिजनौर / 1.1.71	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, कोटद्वार	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान तैनाती स्थल पर दिनांक 30.06.2023 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। वर्तमान तैनाती स्थल पर इनकी अवधि 03 वर्ष से कम है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।	
10.	श्री अतुल कुमार / 30.06.70 / हरिद्वार /	सिंचाई खण्ड हरिद्वार	वरिष्ठ कार्मिक होने के कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा पत्रांक सं–22, दिनांक 14.05.2025 द्वारा वरिष्ठ कार्मिक होने पर स्थानान्तरण सत्र 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।
11.	शिवकुमार यादव / 15.01.1971 / उ.प्र.	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून	दोनों पैरों से 50 प्रतिशत दिव्यागं कार्मिक होने कारण दिव्यांगता के आधार पर स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण में छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है।	इनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी इटावा के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।
12.	दरबान सिंह / 25.06.1973 / अल्मोड़ा	सिंचाई खण्ड सितारगंज	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इन्हें वर्तमान कार्यालय में 02 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुये है। इनको वर्तमान कार्यालय में 04 वर्ष या उससे अधिक का समय नहीं हुआ है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।	
13.	भू प्रकाश उनियाल / 27.8.66 / टिहरी	सिंचाई खण्ड, देहरादून	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान कार्यालय में 03 वर्ष पूर्ण नहीं हुए है तथा ये वरिष्ठ कार्मिक है। इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.08.2026 है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
14.	प्रदीप प्रसाद गैरोला / 10.07.1978 / देहरादून	पदार्थ परिक्षण इकाई 1 रूड़की	इनके द्वारा अगवत कराया है कि इनकी दुर्गम की सेवायें 05 वर्ष 09 माह 19 दिन हो गयी है। इनको वर्तमान खण्ड में केवल 02 वर्ष 06 माह ही हुये है। इनकी 79 वर्षीय माताजी अक्सर बीमार रहती है, जो वर्तमान में इनके साथ प्रतीतनगर रायवाला में निवास कर रही है। जिस कारण इनके द्वारा वर्तमान कार्यालय में यथावत् रखने का अनुरोध किया है। स्थानान्तरण की स्थिति में रूड़की, ऋषिकेश तथा नरेन्द्रनगर के समीप पदस्थापित किये जाने का अनुरोध किया है।	
15.	राजिन्दर सिंह लाल / 31.10.71 / हरिद्वार /	नलकूप खण्ड, हरिद्वार		
16.	अशोक सिंह / 20.2.71 / लखनऊ	जल विज्ञान इकाई 1, बहादराबाद	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी सेवानिवृत्ति में अभी 06 वर्ष का समय शेष है। इनको वर्तमान खण्ड में मात्र 20 माह हुए है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा पत्रांक सं–22, दिनांक 14.05.2025 द्वारा वर्तमान कार्यालय में 03 वर्ष से कम अवधि की सेवायें होने की स्थिति में स्थानान्तरण सत्र 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।

17.	हरपाल सिंह/10.06.76 /मुरादाबाद	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इन्हें दुर्गम क्षेत्र में 05 वर्ष 06 माह 22 दिन की सेवा पूर्ण कर ली है। इन्हें वर्तमान कार्यालय में 01 वर्ष 03 माह का समय हुआ है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
18.	संजीव कुमार/30.10.72/ इटावा	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	दुर्गम पूर्ण है। स्थानान्तरण से मुक्त रखे जाने का अनुरोध किया है।	
19.	सतीश कुमार/15.08.73/ हरिद्वार	सिंचाई कार्यशाला रूड़की	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इन्होंने दुर्गम क्षेत्र में 08 वर्ष 01 माह 30 दिन की सेवा पूर्ण कर ली है। इन्होंने 01.01.2025 को सिंचाई कार्यशाला रूड़की में मु.प्र.अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। वर्तमान खण्ड (सुगम क्षेत्र) में मात्र 04 माह का समय ही हुआ है। इनके बच्चे बाहर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
20.	श्री दानिश अहमद 11.02.1982 (ऊ.सि.नगर)	नलकूप खड टनकपुर	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं-21, दिनांक 09.05. 2025 द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग जनपद चम्पावत के अध्यक्ष है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त जनपद शाखा के पदाधिकारियों की सूची मय विज्ञप्ति (छायाप्रति) सहित संलग्न है।
21.	हरीश चन्द्र कफल्टिया/ 14.05.75/नैनीताल	जमरानी बॉ. निर्माण ख2 हल्द्वानी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इन्हें वर्तमान मुख्यालय में मात्र 01 माह का समय हुआ है। इनके बच्चे हल्द्वानी में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं एवं वृद्ध माताजी का स्वास्थ्य खराब रहता है। उनकी देखभाल, स्वास्थ्य सम्बन्धित जिम्मेदारी इन पर है। **इनकी पत्नी शिक्षा विभाग में दुर्गम क्षेत्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्यूडा नवीन विकास खण्ड भीमताल जिला–नैनीताल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है।** स्थानान्तरण अधिनियम में पति–पत्नी एक ही मुख्यालय/जिला मुख्यालय में पद स्थापित रहने का प्राविधान है। एक मुख्यालय पर 04 वर्ष की सेवा न होने एवं पति–पत्नी एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित के प्राविधानानुसार इनके द्वारा स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण अधिनियम के अनुसार किया जाना आवश्यक हो तो इनका स्थानान्तरण दुर्गम क्षेत्र सिंचाई खण्ड नैनीताल में होने वाली सम्भावित रिक्ति पर किये जाने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्यूडा नवीन विकास खण्ड भीमताल जिला–नैनीताल का प्रमाण–पत्र संलग्न किया है। **यह भी उल्लेखनीय है कि** मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05.2025 द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग जनपद **नैनीताल के सचिव है,** जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। छाया प्रति संलग्न।
22.	श्रीमती रोशना देवी/30.12. 66/टिहरी	जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद		
23.	मुकेश कुमार/ 31.10.68 /देहरादून	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, देहरादून		
24.	प्रकाश सिंह/ 15.11.67/पौड़ी	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये वरिष्ठ कार्मिक है, ऑखों का उपचार एम्स ऋषिकेश में चल रहा है। इसके अतिरिक्त मधुमेय एवं उच्च रक्तचाप की दवाईया नियमित लेनी पड़ती है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से छूट प्रदान करते हुए वर्तमान खण्ड में यथावत् रखने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण अनिर्वाय है तो निम्न विकल्प दिये है– 1. सिंचाई खण्ड हरिद्वार। 2. अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून। 3. सिंचाई खण्ड देहरादून।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा पत्रांक सं–22, दिनांक 14.05. 2025 द्वारा हरिद्वार, देहरादून मुख्यालय में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया है।

			4. पीएमजीएसवाई देहरादून।	
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी				
1.	ताजवर सिंह / 02.01.67 / पौड़ी गढ़वाल	परिकल्प खण्ड, रूड़की	इनके द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 22.07.2024 को वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी के पद पर पदोन्नति उपरान्त वर्तमान खण्ड में कार्यभार ग्रहण किया गया। इनके आयु 58 वर्ष से अधिक होने के कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	इस सम्बन्ध में मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा पत्रांक सं–22, दिनांक 14.05.2025 द्वारा भी वरिष्ठ कार्मिक होने की स्थिति में इन्हें स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।
2.	राकेश सिंह रावत / 17.10.68 / देहरादून	नलकूप खण्ड, देहरादून	आयु 57 वर्ष होने के तथा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में दिये गये प्राविधानों की धारा–7 के उपनियम 'घ' (एक) के अनुसार 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कार्मिकों को सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र हेतु स्थानान्तरण पर छुट प्रदान की गयी है। तद्क्रम में इनके द्वारा इन्हें स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड ने पत्रांक संख्या–178, दिनांक 13.05.2025 द्वारा अवगत कराया है ये सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड के प्रान्तीय महामंत्री है, जिस कारण इन्हें स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है।	सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त प्रान्तीय अध्यक्ष एवं महामंत्री की सूची चुनाव विज्ञप्ति की छाया प्रति संलग्न है।
3.	श्री हरि सिंह रावत / 15.6.67 / पौडी	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनकी आयु 58 वर्ष है इसके अतिरिक्त ये पेरालाईज, शुगर, बी0पी0 आदि रोगों से ग्रसित है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा निजी हॉस्पिटल के चिकित्सा उपचार परामर्श की छायाप्रति संलग्न की है।
4.	श्रीमती अनिता रानी / 08.03.78 / हरिद्वार	नलकूप खण्ड, रूड़की	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये 60 प्रतिशत दिव्यांग कार्मिक है, जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा मेडिकल ऑथोरिटी हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की है।
5.	श्रीमती अमृता वैश्य 19.03.981 / देहरादून	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनका इकलौता पुत्र मानसिक रोग से पीड़ित है, उसका ईलाज व थैरपी देहरादून चिकित्सक के पास ही चल रही है तथा उसका स्पेशल भी देहरादून में ही है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण देहरादून मुख्यालय पर करवाने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा मेडिकल बोर्ड का प्रमाण–पत्र तथा डिसअबिलिटी सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न की है।
6.	प्रवीण कुमार / 03.07.76 / हरिद्वार	नलकूप खण्ड रूड़की	इनके द्वारा अवगत कराया है कि लगभग 04 वर्ष दुर्गम की सेवापूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 01.08.2023 को वर्तमान खण्ड में योगदान किया गया था। इनकी पत्नी लगभग 16 वर्षो से मधुमे (शुगर) महारोग से पीड़ित है। इनका ईलाज लगातार हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रान्ट में चल रहा है। लगभग दो माह उपरान्त इनकी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति होनी है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।	इनके द्वारा हिमालियन हॉस्पिटल जॉली ग्रान्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की है। जिसमें Known case of Type II DM for 10 years, needs constant monitoring continuously and advised to have someone with her at all time. का उल्लेख किया है।
7.	हरिलाल पटेल /	अवस्थापना (पुनर्वास)	इनके द्वारा अवगत कराया है कि दुर्गम क्षेत्र में 02	इनके द्वारा ऑल

	02.06.75/देहरादून	खण्ड, ऋषिकेश	वर्ष 11 माह 15 दिन की सेवा पूर्ण की गयी है। वर्तमान खण्ड में इन्हें मात्र 01 वर्ष 06 माह का समय व्यतीत हुआ है। इनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब रहता है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण अनिवार्य है तो निम्न विकल्प दिया है– 1. पीएमजीएसवाई सिं.ख. चम्बा। 2. पीएमजीएसवाई प्रथम, सिं.ख. नई टिहरी। 3. सिंचाई खण्ड नई टिहरी। 4. सिंचाई खण्ड, श्रीनगर। 5. पीएमजीएसवाई सिं.खण्ड श्रीनगर।	इण्डिया इन्स्टूड ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेष ओपीडी का पर्चा संलग्न किया है।
8.	श्रीमती गंगा बिष्ट/ 4.6.82	जमरानी बॉध निर्माण खण्ड–2 हल्द्वानी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये दिव्यांग कार्मिक है, जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से छूट प्रदान करते हुए वर्तमान कार्यालय में यथावत रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की है।
9.	श्रीमती मोनिका बलोदी /15–10–1982/ देहरादून।	अवस्थापना (पुर्न) खण्ड, ऋषिकेष	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनके साथ इनकी 65 वर्षीय माता जी भी रहती है जो विगत कई वर्षो से बीमार है, जिनका उपचार AIIMS ऋषिकेश में चल रहा है। इनका 17 वर्षीय पुत्र कक्षा 12 में ऋषिकेश में अध्ययनरत है। वर्ष 2025–26 में उसकी बोर्ड की परीक्षायें होनी है। ये स्वंय भी विगत वर्षो से बीमार है इनका ईलाज AIIMS ऋषिकेश में चल रहा है। इनके घर में पुत्र एवं बीमार माताजी के अलावा कोई अन्य सदस्य न होने के कारण ये पूर्णरूप से इन पर आश्रित है। वर्तमान खण्ड में इन्हें 01 वर्ष 06 माह 20 दिवस का ही समय हुआ है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा AIIMS ऋषिकेश के ओपीडी पर्चे की छायाप्रति संलग्न की है।
10.	मोहित कुमार चौहान/ 18.04.1976/ बिजनौर/	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर	माता जी मानससिक रोग से पीड़ित है। जिनका उपचार राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सेलाकुई देहरादून से चल रहा है। जिस कराण स्थानतरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।	राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सेलाकुई देहरादून द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न।
11.	कार्मिक 23ए पर दुर्गम की सेवाओं की गणना के सापेक्ष परिवर्तित हो गया है।			
12.	सचिन गौतम/ 30.06.83/हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, रूड़की	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनके पुत्र को मिर्गी के दौरे पड़ते है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।
13.	सुरेश सिंह गड़िया/ 5.3.77/नैनीताल	सिंचाई खण्ड रूद्रपुर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड जनपद उधमसिंह नगर में जिला सचिव के पद पर है। जिस कारण स्थानान्तरण 2025 में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। **यह भी उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड ने पत्रांक संख्या–178, दिनांक 13.05.2025 द्वारा अवगत कराया है ये सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड के जिला उधमसिंहनगर के जनपद सचिव है, जिस कारण इन्हें स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है।**	सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त प्रान्तीय अध्यक्ष एवं महामंत्री की सूची चुनाव विज्ञप्ति की छाया प्रति संलग्न है।
14.	नवीन कुमार/ 20.07.79/ हरिद्वार	स्थापना खण्ड रूड़की	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनके द्वारा दुर्गम क्षेत्र में 05 वर्ष 04 माह की सेवा पूर्ण की जा चुकी है। वर्तमान कार्यालय में इन्हें 01 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुआ है। इनके द्वारा पूर्व में भी माता जी के स्वास्थ्य खराब होने के कारणवश ही स्थानान्तरण कराया गया था। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
15.	पूरन चन्द्र जोशी/	परियोजना खण्ड,	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये एक विकलांग	इनके द्वारा मुख्य

	28.10.79/अल्मोड़ा	देहरादून	कर्मचारी है एवं इनके बांये कूल्हे का ऑपरेशन भी हो रखा है, जिस कारण ये अधिक चल फिर नहीं सकते है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	चिकित्सा अधिकारी देहरादून द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।
16.	उमेद सिंह/20.10.82/टिहरी	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर		
17.	हरीश रावत/ 10.05.1983/बागेश्वर	नलकूप खण्ड हरिद्वार		
18.	राजीव बाबू/ 01.01.1979/ देहरादून	सिंचाई खण्ड, विकासगनर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी माता जी अत्यन्त वृद्व है और हार्ट रोग से ग्रसित है, ओर एंजियोप्लास्टि द्वारा इनके तीन स्टंट डाले गये है। इनका पुत्र प्रज्ञांश कुमार मानसिक रोग से पीड़ित है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से अवमुक्त रखे जाने का अनुरोध किया गया है।	इनके द्वारा अपनी माता जी का चिकित्सा बोर्ड उत्तराखण्ड देहरादून का चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा अपने पुत्र के ग्राफिक ऐरा हॉस्पिटल, धूलकोट, देहरादून का OPD Consultaion की छायाप्रति संलग्न किया है।
19.	श्रीमती संध्या शर्मा/ 23.10.1976/ हरिद्वार	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, दे.दून		
20.	भूपेन्द्र सिंह /04.06. 1978/ देहरादून	नलकूप खण्ड, हरिद्वार		
21.	हिमांशु मित्तल/ 30.8.78/देहरादून	सिंचाई खण्ड, विकासनगर		
22.	सुरेश चन्द्र 01.04.80	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर		
23.	दिनेश चन्द्र तिवाडी/ 5.3.76/नैनीताल/	पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी		
23A	गौरव दीक्षित /ग्वालियर, 25–06–1974	सिंचाई खण्ड, कालसी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि स्थानान्तरण के फलस्वरूप वर्तमान खण्ड में दिनांक 26.11.2024 को कार्यभार ग्रहण किया गया। वर्तमान खण्ड में इन्हें 05 माह लगभग हुये है। इनकी 78 वर्षीय माताजी हृदय रोग से पीड़ित है, जिनकी देख–रेख की सम्पूर्ण जिम्मेदारी इन पर है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा निजी चिकित्सालय की रिपोर्ट/पर्चा/डिस्चार्ज समरी की छायाप्रति संलग्न की है। सुगम/दुर्गम की सेवाओं को तार्किक आधार (कालसी खण्ड अन्तर्गत कोटी, एवं त्यूनी तथा कालागढ़ जिला–पौड़ी गढ़वाल आदि) पर प्राप्त निर्देशों आधारित अनुसार दुर्गम क्षेत्र में वर्गीकरण–सुगम सेवा (13वर्ष 12दिन), दुर्गम सेवा (05वर्ष 07माह 01दिन) मान्य किया गया है।
24.	सोबन सिंह/2.3. 1984/पौड़ी	नलकूप खण्ड रामनगर	सुगम/दुर्गम की सेवाओं को तार्किक आधार (कालसी खण्ड अन्तर्गत कोटी, एवं त्यूनी तथा कालागढ़ जिला–पौड़ी गढ़वाल आदि) पर प्राप्त निर्देशों आधारित अनुसार दुर्गम क्षेत्र में वर्गीकरण–सुगम सेवा (07वर्ष 01 माह 30दिन), दुर्गम सेवा (10वर्ष 05माह 20दिन) मान्य किया गया है।	अतः सुगम से दुर्गम की पात्रता में अनिवार्य स्थानान्तरण से बाहर हो जाते है।
25.	कृष्ण कुमार तिलाड़ा/07. 02.82/अल्मोड़ा/	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी		
26.	योगेश चन्द्र	सिंचाई खण्ड, खण्ड,	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये पूर्व में सीमान्त दुर्गम लोहाघाट खण्ड में 08 वर्ष से	

	पाण्डेय / 22.3. 85 / चम्पावत /	सितारगंज	अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके है, ये दुर्गम क्षेत्र में ही सेवा करने के इच्छुक है। इनके द्वारा स्थानान्तरण 2025 में इनका स्थानान्तरण दुर्गम क्षेत्र के निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में करने का विकल्प दिया है– 1. पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड, ज्योलीकोट। 2. सिंचाई खण्ड, नैनीताल।	
27.	श्रीमती सरिता पन्त / 16 / 11 / 1979 / अल्मोड़ा	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी		
28.	भुवनेश्वर प्रसाद बडोनी / 08–07–1975 / टिहरी	सिंचाई खण्ड, देहरादून	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05. 2025 द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग के प्रान्तीय अध्यक्ष है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त जनपद शाखा के पदाधिकारियों की सूची मय विज्ञप्ति (छायाप्रति) सहित संलग्न है।
29.	श्री राजेन्द्र चन्द / 22.03.1985 / पिथौरागढ़	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05. 2025 द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग जनपद उधमसिंह नगर के अध्यक्ष है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त जनपद शाखा के पदाधिकारियों की सूची मय विज्ञप्ति (छायाप्रति) सहित संलग्न है।
प्रशासनिक अधिकारी				
1.	रमेश चन्द / 15.01. 66 / सहारनपुर	परिकल्प खण्ड, रूड़की	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा पत्रांक सं–22, दिनांक 14.05.2025 द्वारा **वरिष्ठ कार्मिक** होने पर स्थानान्तरण सत्र 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
2.	आनन्द सिंह / 17.4. 68 / देहरादून /	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर		
3.	कार्मिक 4ए पर दुर्गम की सेवाओं की गणना के सापेक्ष परिवर्तित हो गया है।			
4.	राजेश कुमार / 04.10.1975 / हरिद्वार	सिंचाई अनुसंधान संस्थान प्रशासन खण्ड, रूड़की	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका शुगर से सम्बन्धित उपचार चल रहा है एवं इनकी 69 वर्षीय माता जी का भी स्वास्थ्य खराब है। इनकी पत्नी सरवाईकल एवं अन्य रोगों से पीड़ित है। इनकी 12 वर्षीय पुत्री रूड़की में कक्षा 08 में अध्ययनरत है। इनकी दुर्गम की लगभग 04 वर्ष 06 माह की सेवायें पूर्ण हो चुकी है तथा वर्तमान खण्ड में इन्हें 02वर्ष 05 माह हो चुके है। इसके अतिक्ति इनकी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति भी होनी है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा निजी चिकित्सक का ओपीडी का पर्चा संलग्न किया है।
4ए	भगत सिंह, 10–8–1971 देहरादून	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	सुगम/दुर्गम की सेवाओं को तार्किक आधार (कालसी खण्ड अन्तर्गत कोटी, एवं त्यूनी तथा कालागढ़ जिला–पौड़ी गढ़वाल आदि) पर प्राप्त निर्देशों आधारित अनुसार दुर्गम क्षेत्र में वर्गीकरण–सुगम सेवा (22वर्ष, 05माह 09दिन), दुर्गम सेवा (10वर्ष, 04माह 02दिन) मान्य किया गया है। अतः इनको सुगम से दुर्गम की अनिवार्य पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना है।	
5.	दिनेश चन्द रवि 01.07. 1978 / देहरादून	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून (सौंग बांध पी0आई0यू0)		

6.	अनिल रवि 05.05.1984 / बिजनौर /	सिंचाई अनुसंधान संस्थान प्रशासन खण्ड, रूड़की	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05.2025 द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग जनपद हरिद्वार के सचिव है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त जनपद शाखा के पदाधिकारियों की सूची मय विज्ञप्ति (छायाप्रति) सहित संलग्न है।
7.	रेशमा बानो / 14.7.82 / उ0नगर	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये एकल अभिभावक है। इनकी 07 वर्षीय पुत्री है, जिसके पालन पोषण का समस्त उत्तरदायित्व इन पर निर्भर है। ये एन्जाइटी की समस्या से पीडित है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा निजी चिकित्सक का पर्चा एवं रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न की है।
8.	श्रीमती अनुराधा गौड़, देहरादून 20–11–1976	सिंचाई खण्ड कालसी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये एकल अभिभावक है। इनकी माताजी जो की काफी वृद्व एवं विकलांग है का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।
9.	अरूण कुमार 01.05.1976 / देहरादून	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर		
10.	श्री सुनील बंसल 24.04.1973 / देहरादून	सिंचाई खण्ड, कालसी		
11.	विजय सिंह / 01.04.81 / पौड़ी /	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा		
12.	श्रीमती ममता जुयाल / 08.04.83 / देहरादून /	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, देहरादून		
13.	कमलेश कुमार / 8.1.85 / नैनीताल	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी		
14.	सचिन कुमार सैनी / 16.1.86 / हरिद्वार /	स्थापना खण्ड, रूड़की	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी 11 वर्षीय पुत्री 45 प्रतिशत विकलांग है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखते हुए दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण न करने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है। राके
15.	प्रवीन कुमार / 08.05.87 / मुजफ्फरनगर /	जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनके आवास का निर्माण कार्य चल रहा है। जिसमें इनको समय–समय पर आवास की देख–रेख हेतु जाना पड़ता है। इनकी पत्नी भी राजकीय सेवा में शिक्षिका के पद पर सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में होने के कारण आवास व इनकी दो छोटी बेटियॉ जिनकी उम्र लगभग 7 व 10 वर्ष है तथा 70 वर्षीय माताजी जो शुगर/घुटनौं की समस्या से पीड़ित की देखभाल इनके द्वारा की जाती है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से मुक्त रखने अनुरोध किया है।	
16.	विकास सिंह / 01–04–1982 / बागपत	सिंचाई खण्ड, रूड़की	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्ष 2023–24 में इनका स्थानान्तरण प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरान्त लघुडाल खण्ड श्रीनगर से सिंचाई खण्ड रूड़की में हुआ था । वर्तमान खण्ड में अभी 02 वर्ष का समय भी पूर्ण नहीं हुआ है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से मुक्त रखने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त सिंचाई कार्यशाला खण्ड रूड़की में प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर स्थानान्तरण की आपेक्षा की गई है।	
17.	संजय कुमार सिंह / 01.06.1978 / बिजनौर	अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर		
18.	रविमोहन यादव / 01.07.	परियोजना खण्ड	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये **ओरल सबम्यूकोस फाईब्रोसिस से ग्रसित है। जो मौखिक**	

	84 / देहरादून	देहरादून	**प्रीकैंसरस स्थिति है।** उक्त रोग के दृष्टिगत चिकित्सकों द्वारा इनको जीवन पर्यन्त सदैव परहेज का भोजन करने की सलाह दी गई है। ये वर्तमान खण्ड में 18.07.2024 से कार्यरत है। चयन वर्ष 2025–26 में इनकी प्रोन्नति वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर होनी है। जिस कारण इनके द्वारा प्रोन्नति होने पर इनका स्थानान्तरण देहरादून मुख्यालय के किसी एक खण्ड में करने का अनुरोध किया है।	
19.	श्रीमती गीता बिष्ट / 9.2.86 / अल्मोडा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि पूर्व में सिंचाई खण्उ अल्मोड़ा दुर्गम में 10वर्ष से अधिक की सेवा की जा चुकी है। इनका 09 वर्ष का पुत्र व 07 वर्ष की पुत्री है, इनकी वृद्ध माताजी इनके साथ रहती है तथा उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। इनके पति अन्यत्र स्थान पर होने के कारण समस्त उत्तरदायित्व इन पर निर्भर है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
		प्रधान सहायक		
1.	हरेन्द्र सिंह रावत / 12.12.65 / पौडी	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये **दिनांक 31.12.2025 को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त** होंगें जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
2.	कृष्ण गोपाल सिंह / 12.01.66 / अलीगढ़	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये एकल अभिभावक तथा वरिष्ठ कार्मिक है, ये अगले वर्ष 30.11.2026 को सेवानिवृत्त हो जायेगें जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
3.	दीपचन्द्र तिवाडी / 5.12.67 / नैनीताल	पी.एम.जी.एस.वाई. सिं. ख.हल्द्वानी		
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह, देहरादून, 01–08–1969	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये दिल की बीमारी से पीड़ित है। दिनांक 24.01.2020 को इनके स्टन्ट डाला गया है। इनकी जन्मतिथि 01.08.1969 है ये वरिष्ठ कार्मिक है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखते हुए वर्तमान कार्यालय, सिंचाई खण्ड, विकासनगर में ही यथावत् रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की है।
5.	संजय कुमार / 1.11.69 / हरिद्वार	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 09.10.2024 को पदोन्नति के उपरान्त वर्तमान खण्ड में स्थानान्तरण किया गया है। वर्तमान खण्ड में मात्र 07 माह का समय हुआ है। आयु 55 वर्ष से अधिक होने के कारण इनके द्वारा स्थानान्तण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
6.	चन्द्रपाल सिंह / 10.04.69 / मुरादाबाद	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि ये पिछले 04 वर्षो से हृदय रोग से पीड़ित है, इनके हृदय में 02 स्टन्ट भी लगे है। इनका ईलाज श्री कृष्णा हास्पिटल, काशीपुर में चल रहा है तथा मण्डलीय चिकित्सा परिषद, नैनीताल द्वारा सम्बन्धित चिकित्सक से नियमित जॉच / स्वास्थ्य परीक्षण की सलाह दी गई है, इसके अतिरिक्त इनकी आयु 55 वर्ष से अधिक होने के कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से अवमुक्त रखे जाने का अनुरोध किया गया है।	इनके द्वारा मण्डलीय चिकित्सा परिषद, नैनीताल द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।
7.	राजेन्द्र सिंह खनायत / 19.12.74 / अल्मोड़ा	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	50 प्रतिशत विकलांग होने, दुर्गम क्षेत्र में चलने फिरने में कठिनाई होने, इनका उपचार वर्तमान में कृष्णा हॉस्पिटल	इनके द्वारा चिकित्सा प्राधिकरण नैनीताल

			हल्द्वानी से चल रहा है। ये वर्तमान में अपने परिवार के साथ हल्द्वानी में निवासरत है। इनकी दो छोटी पुत्रियाँ हल्द्वानी में शिक्षारत है, तथा इनकी माताजी जो 80 वर्ष से अधिक की है इनके साथ ही रहती है, जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इनका स्थानान्तरण दुर्गम क्षेत्र में न करते हुए सुगम क्षेत्र सिंचाई खण्ड हल्द्वानी में ही यथावत् रखने का अनुरोध किया गया है।	उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।
8.	कार्मिक 10ए पर दुर्गम की सेवाओं की गणना के सापेक्ष परिवर्तित हो गया है।			
9.	लाल बहादुर सिंह /15–09–1965/बिजनौर।	परियोजना खण्ड ऋषिकेश		
10.	सुखपाल सिंह/ 15.08.65/हरिद्वार	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–22, दिनांक 14.05. 2025 द्वारा भी अवगत कराया है कि ये वरिष्ठ कार्मिक है, जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
10ए	ओम प्रकाश/ 5.3.71/देहरादून	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनके बड़े पुत्र की दिमागी हालत ठीक नहीं है तथा छोटा पुत्र देहरादून में रहकर पढ़ाई कर रहा है। इनकी पत्नी भी बीमार रहती है। हाल ही में पथरी का आपरेशन स्वामी विवेकानन्द धर्मार्थ चिकित्सालय धर्मावाला में कराया गया है। जिस कारण स्थानान्तरण से मुक्त रखते हुए डाकपत्थर मुख्यालय में रहने का अनुरोध किया है।	सुगम/दुर्गम की सेवाओं को तार्किक आधार (कालसी खण्ड अन्तर्गत कोटी, एवं त्यूनी तथा कालागढ़ जिला–पौड़ी गढ़वाल आदि) पर प्राप्त निर्देशों आधारित अनुसार दुर्गम क्षेत्र में वर्गीकरण–सुगम सेवा (25वर्ष 18दिन), दुर्गम सेवा (05वर्ष 08माह 15दिन) मान्य किया गया है।
11.	राजू/27.06.75/उ0नगर	सिंचाई खण्ड रामनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये काशीपुर के स्थाई निवासी है, इनकी पत्नी के दोनों गुर्दो में पथरी होने के कारण चार–पॉच ऑपरेशन पूर्व में हो चुके है एवं वर्तमान में भी दोनों गुर्दों में पथरी की शिकायत है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
12.	मोहन कुमार/ 10.09.1972/पौड़ी गढ़वाल	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, देहरादून		
13.	बैजन्ती रावत/15.08. 1970/ पौड़ी गढ़वाल	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, देहरादून	विधवा, एकल अभिभावक एवं माह अगस्त 2025 में 55 वर्ष पूर्ण होने कारण सुगम से दुर्गम में छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है।	
14.	नवीन विक्टर/ 3.12.76/देहरादून	परिकल्प खण्ड रूड़की (सम्बद्व नलकूप खण्ड देहरादून)	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनकी माताजी 76 वर्ष की वृद्व महिला होने के साथ 40 प्रतिशत दिव्यांग है, जिनकी देखभाल/सेवा करने हेतु इनको घर पर माताजी के साथ रहना पड़ता है, इनके अलावा घर पर माताजी की सेवा करने वाला कोई अन्य नहीं है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक देहरादून द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।
15.	रिकान्तकुमार/ 16.06.82/रूड़की	सिंचाई खण्ड हरिद्वार	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी पदोन्नति वर्ष 2024 में प्रधान सहायक के पद पर हुई है।	

			इनको वर्तमान खण्ड में 04 माह हुये है। इनकी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
16.	सोमपाल / 5.7.82 / नैनीताल	सिंचाई खण्ड, रामनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति के पश्चात् सिंचाई खण्ड नैनीताल से सिंचाई खण्ड रामनगर में माह नवम्बर में कार्यभार ग्रहण किया गया। इनको वर्तमान खण्ड में 06 माह का समय हुआ है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से अवमुक्त रखते हुए वर्तमान खण्ड में पदस्थापित रहने का अनुरोध किया है।	
17.	नवराज दत्ता / ऊ0सिं0नगर 30.06.1975	सिंचाई खण्ड सितारगंज	इनके द्वारा अवगत कराया है कि प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति उपरान्त इनके द्वारा वर्तमान खण्ड में दिनांक 08.11.2024 को कार्याभार ग्रहण किया गया। वर्तमान खण्ड में इन्हें कुल 06 माह का समय ही व्यतीत हुआ है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण आवश्यक है तो निम्न विकल्प दिया है– 1. पीएमजीएसवाई ज्योलीकोट। 2. सिंचाई खण्ड नैनीताल। 3. लघुडाल खण्ड अल्मोड़ा। 4. पीएमजीएसवाई चम्पावत।	
18.	खुशीराम / 18.05.77 / टिहरी	जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी एक किडनी खराब है। जिस कारण स्थानान्तरण से मुक्त रखते हुए वर्तमान खण्ड में यथावत रखने का अनुरोध किया है।	मेडिकल बोर्ड का प्रमाण–पत्र एवं अन्य चिकित्सा सम्बन्धी प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न।
19.	श्रीमती बबली / 07.07. 1978 / देहरादून	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी पुत्री उच्च शिक्षा में देहरादून में अध्यनरत है तथा इनकी **माताजी मानसिक रोग से पीड़ित है** वह घर छोड़कर कभी भी बाहर चली जाती है उन्हें ढूढने में इनको पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है। ये **एकल अभिभावक है**, वृद्व माता एवं पुत्री की देखभाल इन्हें ही करनी पड़ती है तथा इनकी माता एवं बेटी के साथ कोई अन्य परिवार का सदस्य नहीं है, जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से **अवमुक्त रखने** का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा निजी चिकित्सक का पर्चा संलग्न किया है।
20.	श्री कमल ठाकुर / ऊ0सिं0नगर / 07.06.1985	नलकूप खण्ड, बाजपुर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी वृद्व माता जी विगत 02 वर्षो से किडनी रोग से पीड़ित चल रहीं उनकी दोनों किडनी लगभग 90 प्रतिशत खराब हो चुकी है, जिस कारण वह निरन्तर डायलिसिस एवं चिकित्सक की देख–रेख में उनका उपचार आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ऋषिकेश, देहरादून में चल रहा है। घर में माताजी की देखभाल हेतु इनके अलावा अन्य कोई भी नहीं है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से अवमुक्त रखे जाने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रद्त चिकित्सा प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।
21.	कार्मिक 23ए पर दुर्गम की सेवाओं की गणना के सापेक्ष परिवर्तित हो गया है।			
22.	पंकज कपरूवाण 08.05.1986	परियोजना खण्ड ऋषिकेश		
23.	अशोक सिंह बिष्ट / 01.01.1983 / बागेश्वर	सिंचाई खण्ड, सितारगंज		
23ए	रवि कुमार शाहू / 10.01.1985 / देहरादून	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	सुगम/दुर्गम की सेवाओं को तार्किक आधार (कालसी खण्ड अन्तर्गत कोटी, एवं त्यूनी तथा कालागढ़ जिला–पौड़ी गढ़वाल आदि) पर प्राप्त	

			निर्देशों आधारित अनुसार दुर्गम क्षेत्र में वर्गीकरण–सुगम सेवा (14वर्ष 07माह 17दिन), दुर्गम सेवा (09वर्ष 09माह 21दिन) मान्य किया गया है।	
24.	श्रीमती ममतेश / 1.7.74 / हरिद्वार	परिकल्प खण्ड रूड़की		
25.	श्रीमती संध्या पुण्डीर / 29.05.1971 / देहरादून	सिंचाई खण्ड, कालसी (कोटी उपखण्ड)	इनके द्वारा अवगत कराया है ये एकल अभिभावक है एवं अपने पिता जो कि कैंसर जैसी घातक बीमारी से ग्रस्त है, की देखरेख एवं उनका ईलाज भी इनके द्वारा ही कराया जा रहा है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण पात्रता सूची से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	सुगम/दुर्गम की सेवाओं को तार्किक आधार (कालसी खण्ड अन्तर्गत कोटी, एवं त्यूनी तथा कालागढ़ जिला–पौड़ी गढ़वाल आदि) पर प्राप्त निर्देशों आधारित अनुसार दुर्गम क्षेत्र में वर्गीकरण–सुगम सेवा (0वर्ष 10 माह 09दिन), दुर्गम सेवा (03वर्ष 03माह 26दिन) मान्य किया गया है। अतः दुर्गम से सुगम की पात्रता में अनिवार्य स्थानान्तरण से बाहर हो जाते है।
26.	नन्दा बल्लभ फुलारा / 26.9.82 / नैनीताल	पी.एम.जी.एस.वाई. सिं.ख.हल्द्वानी		
27.	लतीफ खान / 10.6.73 / पौड़ी	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा		
28.	कृष्णपाल सिंह / 5.9.1976 / पौडी	**सिंचाई खण्ड, दुगड्डा**		
29.	मो0 रफी / 4.4. 76 / देहरादून	सिंचाई खण्ड, कालसी		
30.	श्रीमती बिन्दिया कौशल / 9.6.85 / टिहरी	परियोजना खण्ड, देहरादून	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनके दोनों पैर पोलियोग्रस्त है, जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र–2025 में स्थानान्तरण से अवमुक्त करने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।
31.	पिन्टू कुमार 10.01.1986 हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, रूड़की		
32.	श्रीमती बबीता लाल 02–07–1977 / हरिद्वार	प्रशासन खण्ड, रूड़की		
33.	ललित उप्रेति / 12.8.82 / अल्मोड़ा	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी		
34.	राजेन्द्र कुमार / 15.8.75 / हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा		
35.	श्रीमती रश्मि टांक / 5.3.66 / देहरादून	परियोजना खण्ड, देहरादून	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी जन्मतिथि 05.03.1966 है तथा ये 16 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र की सेवा पूर्ण कर चुकी है, तथा ये **दिनांक 31.03.2026 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पा सेवानिवृत्त होने** वाली है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से **मुक्त रखने का अनुरोध किया है।**	
36.	संजय / 04.07.84 / नैनीताल	सिंचाई खण्ड, रामनगर		
37.	श्रीमती प्रीती टम्टा / 21.4.90 / चमोली	सिंचाई खण्ड, देहरादून	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका निवास देहरादून मुख्यालय पर है, इनकी एक 04 वर्ष की पुत्री है, इनके पति व्यवसाय के कारण देहरादून मुख्यालय पर नहीं रहते है, एवं इनकी सास जो	

			अस्वस्थ है, इनके साथ ही रहती है। इनका 06 माह पूर्व ही प्रधान सहायक के पद पर पदस्थापना हुई है। इनकी दुर्गम की सेवा 07 वर्ष 02 माह हो चुकी है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में दुर्गम में स्थानान्तरण न करने का अनुरोध किया है।	
38.	अनिल कुमार उप्रेती / 04.04.1972 / चम्पावत	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी		
39.	हरिप्रताप सिंह / 19.01.86 / उत्तरकाशी	नलकूप खण्ड, देहरादून		
40.	पान सिंह बिष्ट / 09.07.1977 / अल्मोड़ा	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये दुर्गम में 14 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके है। बच्चों की शिक्षा एवं वृद्व माताजी के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है। वर्तमान खण्ड में 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। ये सुगम की सेवा करने के इच्छुक है। यदि सुगम से सुगम में स्थानान्तरण करना अनिवार्य हो तो निम्न में से किसी एक खण्ड में करने का विकल्प दिया है– 1. नलकूप खण्ड बाजपुर। 2. नलकूप खण्ड हल्द्वानी। 3. सिंचाई खण्ड हल्द्वानी। 4. पीएमजीएसवाई हल्द्वानी।	
41.	संजय सिंह मेहरा / 31.12.77 / नैनीताल	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये वर्तमान में हल्द्वानी में निवारत है। ये एकल अभिभावक है। इनकी 74 वर्षीय माताजी का ईलाज हल्द्वानी से चल रहा है। इनका एक 06 वर्ष का पुत्र है। इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से मुक्त रखते हुए सिंचाई खण्ड हल्द्वानी में यथावत् रखने का अनुरोध किया है।	
		वरिष्ठ सहायक		
1.	रमेश चन्द्र / 14.12.66 / पौड़ी	सिंचाई खण्ड, विकासगनर		
2.	रविन्द्र कुमार 15–06–1966 / हरिद्वार /	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा पत्रांक सं–22, दिनांक 14.05.2025 द्वारा **वरिष्ठ कार्मिक** होने पर स्थानान्तरण सत्र 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
3.	शशिकान्त / 6.10.74 / टिहरी	सिंचाई खण्ड विकासनगर		
4.	भुवन चन्द्र जोशी / 06.03.1989 / बागेश्वर	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि सड़क दुर्घटना में दायें पैर के लिगामेंट ए0सी0एल0 / पी0सी0एल0 टूट जाने के कारण लिगामेंट का आपरेशन हल्द्वानी में हुआ है। चिकित्सक द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अुनसार अल्प रिकवरी 06 माह के बाद होना संभव है। सूक्ष्म लापरवाही भी पूर्ण पैर को खराब कर सकती है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से छूट प्रदान करते हुए वर्तमान खण्ड में यथावत् रखने का अनुरोध किया है। आगामी स्थानान्तरण सत्र 2026 में इनका स्थानान्तरण पैर ठीक होने के पश्चात् किसी भी खण्ड में करने की आपेक्षा की है।	इनके द्वारा निजी चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की है।
5.	श्री दयानन्द / 04..03.1971 / देहरादून	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर		
6.	राजपाल सिंह / 10.01.1977 / देहरादून	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये बॉये पैर से 60 प्रतिशत विकलांग है, जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून द्वारा प्रदत्त विकलांग प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की है
7.	अंकित कुमार / 25.11.83 / हरिद्वार	नलकूप खण्ड, रूड़की		

8.	कमलेश कुमार जोशी/ 1.1.89/अल्मोड़ा	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर		
9.	दीपक सिंह रावत/ 13.1.95/पौड़ी	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा		
10.	श्रीमती शैली अग्रवाल/ 29.7.66 /पौड़ी	सिंचाई खण्ड, देहरादून	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी सेवानिवृत्ति 2026 में है। ये एक वरिष्ठ कार्मिक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
11.	श्रीमती सुषमा देवी/25.7. 90/ हरिद्वार	जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद		
12.	श्रीमती शोभना /05.07. 1969 /देहरादून	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	एकल अभिभावक एवं आयु 55 वर्ष से अधिक होने के कारण स्थानान्तरण 2025 से मुक्त रखते हुए डाकपत्थर मुख्यालय पर रहने का अनुरोध किया है।	
13.	आशीष कुमार/ 21.11. 92/हरिद्वार	स्थापना खण्ड, रूड़की	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये 40 प्रतिशत विकलांग है। विकलांगता के आधार पर इनके द्वारा इन्हें स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।
14.	विजय बम/20.6. 90/देहरादून	अनुसंधान एवंनियोजन खण्ड, देहरादून	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये द्विवर्षीय डिप्लोमा हेतु अर्द्धवेतन में अध्ययन अवकाश पर है। तथा कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (कार्मिक अनुभाग–02) सिं.वि.उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 7502, दिनांक 29.10.2024 के द्वारा इन्हें अध्ययन अवकाश समाप्त होने तक वर्तमान खण्ड में ही पदस्थापित करने का आदेश निर्गत किया गया है। जिस कारण इनके द्वारा अध्ययन अवकाश समाप्त होने तक वर्तमान खण्ड में ही पदस्थापित एवं स्थानान्तण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
15.	उम्मेद नाथ/1.6.72/टिहरी	अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, ऋषिकेश		
16.	प्रदीप सिंह शाह/ 15.07.1979/टिहरी	सिंचाई खण्ड, देहरादून		
		कनिष्ठ सहायक		
1.	सोना देवी/10.01. 79/टिहरी	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर		
2.	श्रीमती सिम्मी देवी/ 07.07.91/हरिद्वार/	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी माता जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका उपचार हरिद्वार के चिकित्सकों द्वारा चल रहा है। अगर इनका स्थानान्तरण दुर्गम क्षेत्र में होता है तो इनको अपनी माता जी का उपचार करवाने मे अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद/रूड़की मुख्यालय के किसी भी खण्ड में करने का अनुरोध किया है।	
3.	बिट्टू कुमार/20.07. 89/हरिद्वार/	सिंचाई अनुसंधान संस्थान प्रशासन खण्ड, रूड़की		
4.	रवि सिंह/20.07. 93/उ0नगर/	नलकूप खण्ड, 6टनकपुर		
5.	धर्मेन्द्र सिंह भण्डारी/21. 06.72/नैनीताल	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका 14 वर्ष का एक छोटा बेटा है जो कि 45 प्रतिशत विकलांग हैं, इनके 84 वर्षीय पिताजी का स्वास्थ्य खराब रहता है। तथा इनकी पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। ये वर्तमान में हल्द्वानी निवासरत है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र	इनके द्वारा मेडिकल ऑथोरिटी नैनीताल उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की

			2025 में इनका स्थानान्तरण दुर्गम क्षेत्र में न करते हुए सुगम क्षेत्र सिंचाई खण्ड हल्द्वानी में करने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण आवश्यक है तो हल्द्वानी मुख्यालय में करने की वॉछना की है।	है।
6.	कृष्ण कुमार/04.06.91/पौड़ी	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा		
7.	श्रीमती शाइस्ता/05.07.1997/देहरादून/	सिंचाई खण्ड कालसी	सुगम/दुर्गम की सेवाओं को तार्किक आधार (कालसी खण्ड अन्तर्गत कोटी, एवं त्यूनी तथा कालागढ़ जिला–पौड़ी गढ़वाल आदि) पर प्राप्त निर्देशों आधारित अनुसार दुर्गम क्षेत्र में वर्गीकरण–सुगम सेवा (शून्य), दुर्गम सेवा (06वर्ष 04माह 10दिन) मान्य किया गया है। अतः इनको दुर्गम से सुगम की अनिवार्य पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना है।	
8.	श्रीमती चन्दा/06.11.77/उत्तरकाशी/	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून	दुर्गम की 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने एवं विधवा कार्मिक होने के कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने हेतु अनुरोध किया है। अगर स्थानान्तण अनिवार्य है तो निकटतम देहरादून मुख्यालय पर स्थित परियोजना खण्ड देहरादून हेतु विकल्प दिया है।	
9.	श्रीमती प्रीती/22.07.94/देहरादून	सिंचाई खण्ड, कालसी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये एकल अभिभावक है एवं अपने 03 बच्चों की देखभाल भी इनके द्वारा की जाती है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण पात्रता सूची–2025 से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	सुगम/दुर्गम की सेवाओं को तार्किक आधार (कालसी खण्ड अन्तर्गत कोटी, एवं त्यूनी तथा कालागढ़ जिला–पौड़ी गढ़वाल आदि) पर प्राप्त निर्देशों आधारित अनुसार दुर्गम क्षेत्र में वर्गीकरण–सुगम सेवा (शून्य), दुर्गम सेवा (04वर्ष 11माह 0दिन) मान्य किया गया है। अतः इनको दुर्गम से सुगम की अनिवार्य पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना है।
10.	श्रीमती शिखा चौहान/27.07.93/देहरादून	सिंचाई खण्ड, कालसी	सुगम/दुर्गम की सेवाओं को तार्किक आधार (कालसी खण्ड अन्तर्गत कोटी, एवं त्यूनी तथा कालागढ़ जिला–पौड़ी गढ़वाल आदि) पर प्राप्त निर्देशों आधारित अनुसार दुर्गम क्षेत्र में वर्गीकरण–सुगम सेवा (शून्य), दुर्गम सेवा (04वर्ष 10माह 01दिन) मान्य किया गया है। अतः इनको दुर्गम से सुगम की अनिवार्य पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना है।	
11.	श्रीमती शैला पारिख/15.05.79 /देहरादून	सिंचाई खण्ड, कालसी (त्यूनी उपखण्ड)	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये एकल अभिभावक है एवं अपने 10 वर्षीय बेटे की पढ़ाई लिखाई, देखरेख इनके द्वारा की जाती है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	सुगम/दुर्गम की सेवाओं को तार्किक आधार (कालसी खण्ड अन्तर्गत कोटी, एवं त्यूनी तथा कालागढ़ जिला–पौड़ी गढ़वाल आदि) पर प्राप्त निर्देशों आधारित अनुसार दुर्गम क्षेत्र में वर्गीकरण–सुगम सेवा (शून्य), दुर्गम सेवा (04वर्ष 04माह 27दिन) मान्य किया गया है। अतः इनको दुर्गम से सुगम की अनिवार्य पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना है।
12.	श्रीमती यशोदा/23.02.	सिंचाई खण्ड,	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये एकल	सुगम/दुर्गम की

	86/पौडी	कालसी (चकराता उपखण्ड)	**अभिभावक** है एवं अपने 05 वर्षीय बेटी की पढ़ाई लिखाई, देखरेख इनके द्वारा की जाती है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	सेवाओं को तार्किक आधार (कालसी खण्ड अन्तर्गत कोटी, एवं त्यूनी तथा कालागढ़ जिला–पौड़ी गढ़वाल आदि) पर प्राप्त निर्देशों आधारित अनुसार दुर्गम क्षेत्र में वर्गीकरण–सुगम सेवा (शून्य), दुर्गम सेवा (03वर्ष 10माह 24दिन) मान्य किया गया है। अतः इनको दुर्गम से सुगम की अनिवार्य पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना है।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

दुर्गम एवं सुगम क्षेत्र के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक द्वारा *अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण* किये जाने का अनुरोध किया गया है जिनके विकल्पों का विवरण निम्नानुसार है:–

क0 सं0	नाम	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	विकल्प	अभ्युक्ति
1	2		3	4
	सर्व श्री/श्रीमती/कु0			
	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी			
1	नरेन्द्र जोशी /21/09/1975/ उधमसिंहनगर/सामान्य	सिंचाई खण्ड बागेश्वर	परिवार काशीपुर में आवासित होने, पत्नी का स्वास्थ्य निरन्तर खराब होने के कारण बार–बार परीक्षण हेतु चिकित्सालय आना–जाना पड़ता है, 02 बच्चे व वृद्व अस्वस्थ माता जी है, जोकि पूर्ण रूप से इन पर निर्भर है, जिस कारण इनके द्वारा सिंचाई खण्ड काशीपुर में दिनांक 31.08.2025 को रिक्त हो रहे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पर पर स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है।	जिस पर मा0 विधायक रामनगर द्वारा इनका स्थानान्तरण सिंचाई खण्ड काशीपुर में किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इनके द्वारा मण्डलीय चिकित्सा परिषद नैनीताल द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की है।
2	राजेश सिंह/28.06.69/ उ0नगर	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	**आयु लगभग 56 वर्ष, एवं पत्नी की वर्ष 2021 में** मृत्यु होने तथा अविवाहित पुत्री जो कि राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर जिला उधमसिंह नगर में अध्ययनरत है की देखभाल की जिम्मेदारी होने, पं तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी होने के कारण **सिंचाई खण्ड काशीपुर** में रिक्त होने वाले पद पर स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है।	
3	श्रीमती सीमा भटनागर/ 26.03.1967/हरिद्वार	पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड पुरोला (सम्बद्व जल संसाधन प्रबन्धक आयोग देहरादून)	02 वर्ष पश्चात् दिनांक 31.03.2027 को सेवानिवृत्ति एवं घुटने का आपरेशन होने तथा गृह जनपद डाकपत्थर और परिवार भी डाकपत्थर रहने के कारण स्थानान्तरण **सिंचाई खण्ड विकासनगर** में किये जाने का अनुरोध किया है।	
4	दिनेश चन्द्र/10.7.73 /हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, थराली	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी वृद्व माताजी जिनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर है, मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं घुटने के दर्द की बीमारी से पीड़ित है। इनकी पत्नी घुटनों के दर्द से बहुत परेशान रहती है एवं इनके बच्चे अभी छोटे है, जो शिक्षार्थ है, परिवार के देखभाल की पूर्ण जिम्मेदारी इनके ऊपर है। इनका गृह जनपद हरिद्वार है एवं	

			इनका परिवार हरिद्वार में ही रहता है। सिंचाई खण्ड थराली हरिद्वार से लगभग 260 किमी0 की दूरी पर है, जिससे इन्हें अपनी माताजी के ईलाज एवं देखभाल करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण इनके द्वारा इनका स्थानान्तरण गढ़वाल मण्डल के किसी एक मुख्यालय पर करने का अनुरोध किया है।	
5	श्रीमती सावित्री सिंघल / 10.06.1978 / देहरादून	पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड–02, नई टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इन्हें दुर्गम क्षेत्र में लगभग 05 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। इनकी 72 वर्षीय सास मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मोतियाबिन्द रोग से ग्रसित है। इनके बच्चे कॉलेज की पढ़ाई हेतु घर से बाहर रहते हैं, जिस कारण उनकी देखभाल करने वाला कोई अन्य सक्षम सदस्य नहीं हैं, इसके अतिरिक्त ये भी हाई ब्लड प्रेशर रोग से ग्रसित है, जिसका ईलाज देहरादून से चल रहा है। जिस कारण इनके द्वारा इनका स्थानान्तरण / सम्बद्धीकरण देहरादून में सिंचाई विभाग के किसी भी कार्यालय में करने का अनुरोध किया गया है।	
6	श्री बादर सिंह रावत / 17.05.1966 / चमोली	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर (सम्बद्ध परियोजना खण्ड देहरादून)	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये सिंचाई खण्ड **श्रीनगर के विरूद्ध परियोजना खण्ड देहरादून में सम्बद्ध है। इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2026 है, इनकी पत्नी की कैंसर से मृत्यु हो चुकी है। एकल अभिभावक** होने के कारण बच्चों के लालन पालन में कठिनाईयों को सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण इनके द्वारा इनकी पदस्थापना मुख्यालय देहरादून के किसी भी खण्ड में या पूर्व की भाँति परियोजना खण्ड देहरादून में सम्बद्धता को यथावत् रखने का अनुरोध किया है।	
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी				
1.	अनुराग कौशिक / 10.08.1972 / मुजफ्फरनगर / सामान्य	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल)	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इन्हें दुर्गम क्षेत्र में 30 जून 2025 तक लगभग 04 वर्ष 09 माह का समय कार्य करते हो जायेगा। इनकी माताजी जिनकी आयु लगभग 70 वर्ष है, इनके परिवार के साथ देहरादून में रहती है। उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। जिस कारण इनके द्वारा इनका स्थानान्तरण देहरादून मुख्यालय पर किसी भी खण्ड में करने का अनुरोध किया है।	
2.	बैजराम उनियाल 26.10.1984 / टिहरी / सामान्य	सिंचाई खण्ड हरिद्वार (सम्बद्ध प्रमुख अभियन्ता कार्यालय देहरादून)	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनको सिंचाइ खण्ड हरिद्वार में एक ही कार्याय में 06 वर्ष का समय हो गया है। तथा वर्तमान में ये प्रमुख अभियन्ता कार्यालय (विधि अनुभाग), सिं.वि.उ. देहरादून में सम्बद्ध है। इन्हें एक ही खण्ड में 04 वर्ष से अधिक का समय हो जाने के कारण ये अपना स्थानान्तरण सिंचाई खण्ड हरिद्वार से देहरादून स्थित किसी भी खण्ड में करवाने के इच्छुक है। इनकी दुर्गम की सेवा 11 वर्ष 06 माह से अधिक एवं सुगम की सेवा 07 वर्ष 06 माह से अधिक हो चुकी है। इनके द्वारा देहरादून मुख्यालय में स्थानान्तरण हेतु निम्न विकल्प दिये है– 1. नलकूप खण्ड देहरादून। 2. अनुसंधान एवं अवस्थापना खण्ड देहरादून। 3. परियोजना खण्ड देहरादून। 4. सौंग बाँध परियोजना देहरादून।	
3.	श्रीमती गीता मौर्य / 06–11–1988 / ऋषिकेश / सामान्य	अवस्थापना खण्ड उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि दुर्गम क्षेत्र में तीन वर्ष छः माह से अधिक का समय पूर्ण हो गया है। इनका पुत्र बाल्यकाल से ही Osteomyelites नामक गम्भीर बीमारी से ग्रसित है, जिसके कारण उसके हाथ के पॉच से अधिक बार ऑपरेशन हो चुके है, जिसके कारण पुत्र शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है और उसको देखभाल की अति आवश्यकता है। जिस कारण निम्न में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण का अनुरोध किया है– 1. परियोजना खण्ड ऋषिकेश। 2. अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड ऋषिकेश।	इनके द्वारा निजी चिकित्सालय की एक्सरे रिपोर्ट, AIIMS ऋषिकेश का ओपीडी का पर्चा और लेबोरेट्री रिपोर्ट तथा हिमालियन हॉस्पिटल की एमआरआई रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न की है।
प्रशासनिक अधिकारी				
1.	हर्षमणी बडोनी	नलकूप खण्ड हरिद्वार	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी 65 वर्षीय माताजी चम्बा टिहरी में अकेले निवारत है एवं उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। ये दुर्गम क्षेत्र में कार्य करने के	

	/15–10–1981		इच्छुक है एवं वर्तमान में अवस्थाना पुर्नवास खण्ड नई टिहरी में प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त है। जिस कारण अवस्थापना पुर्नवास खण्ड नई टिहरी में स्थानान्तरण का अनुरोध किया है।	
प्रधान सहायक				
1.	श्रीमती प्रांची शर्मा/ ऊ0सिं0नगर/ 14.07.1987	पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड कोटद्वार	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनके छोटे बच्चे है जो कि हल्द्वानी में रहते है। स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वृद्व माताजी जो की बच्चों के साथ रह रही है, वो भी चलने फिरने में असमर्थ है, जिनका ईलाज हल्द्वानी में चल रहा है। जिस कारण इनके द्वारा इनका स्थानान्तरण प्रथम वरियता में पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड हल्द्वारी, द्वितीय वरियता में जमरानी बॉध निर्माण खण्ड–2, हल्द्वानी, तृतीय वरियता में सिंचाई खण्ड नैनीताल किये जाने का अनुरोध किया है।	
2	उपेन्द्र, पौड़ी गढ़वाल, 05–01–1983	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल) (सम्बद्व प्रमुख अभियन्ता कार्यालय देहरादून)	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये लघुडाल खण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल) के विरूद्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (बजट अनुभाग), सि.वि. उत्तराखण्ड देहरादून में सम्बद्व है। इनको जून 2024 में **हार्ट में दिक्कत** होने के कारण ग्राफिक ऐरा हॉस्पिटल, सेलाकुई में भर्ती करवाया गया, चिकित्सकों द्वारा परीक्षणोपरान्त **एन्जियोग्राफी की गयी, जिसके बाद से ही इन्हें चलने–फिरने में सॉस फुलने की दिक्कत हो गयी है।** जिस कारण इनके द्वारा इनका स्थानान्तरण निम्न मुख्यालयों में से किसी एक मुख्यालय में करने का अनुरोध किया है– 1. देहरादून। 2. डाकपत्थर। 3. ऋषिकेश।	इनके द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव, राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की है। जिसमें इन्हें Regular follow up for treatment का परामर्श दिया गया है।
3	शिवपाल सिंह 05.01.1976/हरिद्वार	पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड चम्बा, टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है दुर्गम क्षेत्र की कुल सेवा लगभग 07 वर्ष पूर्ण कर ली है। इनके बच्चे हरिद्वार में अध्ययनरत है, इनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है। आगामी वर्षो में सिंचाई खण्ड हरिद्वार के अर्न्तगत कुम्भ मेलें से सम्बन्धित निर्माण कार्य सम्पन्न होने है, जिसमें ये अपनी सेवा प्रदान करने के इच्छुक है। जिस कारण इनके द्वारा सिंचाई खण्ड हरिद्वार में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया है।	
वरिष्ठ सहायक				
1.	मीना देवी/30.04. 71/देहरादून/सामान्य	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल)	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी आयु लगभग 55 वर्ष है, इनका परिवार देहरादून में निवासरत है। ये एकल अभिभावक है। जिस कारण इनके द्वारा निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है– 1. सिंचाई खण्ड, कालसी (देहरादून)। 2. पीएमजीएसवाई, कालसी (देहरादून)। 3. अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर (देहरादून)। 4. सिंचाई खण्ड विकासनगर (देहरादून)।	
2.	अभिषेक/25.7.94/देहरादून	सिंचाई खण्ड, पुरोला	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी दुर्गम सेवा 2018 से अब तक 07 वर्ष से अधिक हो चुकी है। ये सुगम में अपनी सेवा करने के इच्छुक है। जिस कारण इनके द्वारा निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरिक करने का अनुरोध किया है– 1. सिंचाई खण्ड देहरादून। 2. सिंचाई खण्ड विकासनगर। 3. सिंचाई खण्ड कालसी। 4. अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून। 5. सिंचाई खण्ड/पीएमजीएसवाई देहरादून। 6. परियोजना खण्ड देहरादून। 7. नलकूप खण्ड देहरादून।	अध्ययन अवकाश पर है।
3.	बालम सिंह/1.11.71/अल्मोड़ा	पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी (सम्बद्व अनुसंधान	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये पीएमजीएसववाई सि.खण्ड, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी के विरूद्व अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड में संबद्व है। इनके बायें मस्तिष्क में अकस्मात ब्रेन हैम्रेज का अटैक हो जाने के कारण माह अक्टूबर 2024 से ग्राफिक ऐरा अस्पताल से उपचार	इनके द्वारा ग्राफिक ऐरा अस्पताल का मेडिकल सर्टीफिकेट की छायाप्रति संलग्न किया है। (निजी)

		एवं नियोजन खण्ड देहरादून)	कराया जा रहा है, जिसके कारण ये बोलने एवं लिखने में असमर्थ है। इनके द्वारा अपनी पदस्थापना पीएमजीएसववाई सिं.खण्ड, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी के स्थान पर अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून में स्थाई रूप से करने का अनुरोध किया है।	
4.	कु0 रचना वर्मा/28.02.1989/ देहरादून	सिंचाई खण्ड नई टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि दुर्गम क्षेत्र में लगभग ढाई वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। इनकी 62 वर्षीय माता जी इन पर आश्रित है, हृदय रोग से पीड़ित है तथा एक स्टण्ड भी पड़ चुका है। इनका 06 वर्ष का पुत्र है, इनके पति व्यवसाय हेतु घर से बाहर रहते है। जिस कारण स्थानान्तरण/सम्बद्धीकरण देहरादून मुख्यालय के किसी भी कार्यालय में करने का अनुरोध किया है।	
5.	प्रभात भद्री/9.01.92/ उत्तरकाशी	अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड नई टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका स्वास्थ्य उचित न होने के कारण इनको बार–बार देहरादून आना पड़ता है, साथ ही इनकी माताजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। इनके द्वारा निम्न में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया है– 1. नलकूप खण्ड देहरादून। 2. सिंचाई खण्ड, देहरादून।	
कनिष्ठ सहायक				
1.	श्रीमती अंजू कुकरेती/10.02. 1983/पौड़ी	नलकूप खण्ड देहरादून	एकल अभिभावक होने, घर की सम्पूर्ण जिम्मेदारी के साथ–साथ बेटी को स्कूल छोड़ना लाना भी पड़ता है, घर पर सहायता हेतु अन्य कोई सदस्य नहीं है। आवास यमुना कालोनी में है, जिस कारण कार्यालय दूर होने के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तद्क्रम में इनके द्वारा स्वंय के अनुरोध पर निम्नानुसार स्थानान्तरण हेत विकल्प दिया है:– 1. परियोजना खण्ड यमुना कालोनी देहरादून। 2. अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड यमुना कालोनी देहरादून।	
2.	मुकेश महर/01.04. 87/उत्तरकाशी	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून (पीआईयू सौंग बांध)	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के मूल निवासी है। इनके बच्चे उत्तरकाशी में शिक्षा ले रहे है। ये दुर्गम क्षेत्र में सेवा करने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में सुगम से दुर्गम क्षेत्र के निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण का विकल्प दिया है– 1. लघुडाल खण्ड उत्तरकाशी। 2. अवस्थापना खण्ड उत्तरकाशी। 3. सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।	
3.	श्रीमती विजय लक्ष्मी/ 01.01.88/देहरादून	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	एकल अभिभावक, हार्ट पेशेंट और पूर्व में ओपन हार्ट सर्जरी होने तथा न्यूरोलॉजी की समस्या होने के कारण अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड ऋषिकेश (जहॉ वर्तमान में सम्बद्व है) में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।	इनके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश का ट्रीटमेन्ट सर्टिफिकेट एवं Southern Railway Hospital, Perambur Madras की Discharge summary संलग्न की है।
4	विशाल कुमार शर्मा/ 09.12.96/बरेली	सिंचाई खण्ड काशीपुर	दुर्गम क्षेत्र का कार्यकाल पूर्ण न होने के कारण स्वंय के अनुरोध पर दुर्गम क्षेत्र के निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण का विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा। 2. सिंचाई खण्ड बागेश्वर। 3. पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा।	
5	अंशुल प्रकाश	पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये वर्तमान कार्यालय में विगत 02 वर्ष से कार्यरत है। इनकी माताजी का 01 वर्ष पूर्व हुये रसोली के ऑपरेशन के पश्चात् स्वास्थ्य	इनके द्वारा लैम्ब परीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न की है।

		जखोली (रूद्रप्रयाग)	लगातार खराब रहता है, घर पर माताजी की देख रेख हेतु इनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। जिस कारण इनके द्वारा इनका स्थानान्तण निम्न कार्यालय में से किसी एक कार्यालय में करने का अनुरोध किया है– 1. पीएमजीएसवाई, कॉवली रोड, देहरादून। 2. अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, यमुना कालोनी, देहरादून।	
6	तेजपाल सिंह / 1.1.80	सिंचाई खण्ड बागेश्वर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका परिवार जसपुर में अध्यासित है। इनकी पत्नी एक पैर से दिव्यांग है तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला बिजनौर द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर 40 प्रतिशत दिव्यांग है। इनके 03 छोटे बच्चे है तथा उसमें इनकी छोटी बेटी एक पैर से दिव्यांग है। इनके बुजुर्ग माताजी का स्वास्थय भी ठीक नहीं रहता है। जिस कारण इनके द्वारा निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया है– 1. सिंचाई खण्ड, काशीपुर। 2. नलकूप खण्ड, बाजपुर। 3. सिंचाई खण्ड, रामनगर। 4. सिंचाई खण्ड रूद्रपुर।	इनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला बिजनौर द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।
7	विनित तोमर / 03.04.1988 / नैनीताल	सिंचाई खण्ड सितारगंज	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये नलकूप खण्ड रामनगर में सम्बद्व है। इनकी माताजी का स्वास्थ्य पैरालिसिस के कारण अत्यधिक खराब है तथा परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं होने के कारण माताजी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी इनके ऊपर है। जिस कारण नलकूप खण्ड रामनगर में स्थानान्तिरित करने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा निजी चिकित्सक की डिस्चार्ज समरी, तथा ओपीडी का पर्चा संलग्न किया है।
8	मुजम्मिल खान / 24.11.93 / देहरादून	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड (दुर्गम क्षेत्र) में 03 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। इनका परिवार मूलरूप से डाकपत्थर में निवासरत है। इनकी माताजी का स्वास्थ्य निरन्तर खराब चल रहा है। इनके पिताजी के देहान्त के बादी परिवार में अन्य कोई पुरूष न होने के कारण परिवार का सम्पूर्ण दायित्व इन पर ही है। इनकी एक पत्नी तथा 06 माह का छोटा बच्चा है। जिस कारण अनुरोध के आधार पर में निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण का विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड कालसी। 2. सिंचाई खण्ड विकासनगर।	
9	रमेश सिंह बिष्ट	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये वर्तमान खण्ड में विगत 03वर्ष 02माह से कार्यरत है। इनके द्वारा अपना स्थानान्तरण निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में करने का अनुरोध किया है– 1. लघुडाल खण्ड उत्तरकाशी। 2. सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी।	
10	सत्यपाल सिंह यादव	नलकूप खण्ड हरिद्वार	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये वर्तमान खण्ड में जुलाई 2024 से कार्यरत है। इनकी दुर्गम की सेवा लगभग 02 वर्ष 02 माह की है। ये अपनी दुर्गम की सेवा पूरी करना चाहते है। जिस कारण दुर्गम क्षेत्र में स्थापित पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड चम्बा (टिहरी गढ़वाल) में स्थानान्तरण का अनुरोध किया है।	
11	विशाल कुमार शर्मा	सिंचाई खण्ड काशीपुर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका दुर्गम क्षेत्र का कार्याकाल पूर्ण नहीं हो पाया है। ये अपना दुर्गम क्षेत्र का कार्यकाल पूर्ण करना चाहते है। जिस कारण दुर्गम क्षेत्र के निम्न में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण का अनुरोध किया है– 1. सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा। 2. सिंचाई खण्ड बागेश्वर। 3. सिंचाई खण्ड पीएमजीएसवाई अल्मोड़ा।	

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र हेतु खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु प्राप्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक द्वारा स्थानान्तरण हेतु कार्यालयवार दिये गये विकल्पों का विवरणः–

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	विकल्प	अभ्युक्ति
1	2		3	4
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी				
	सर्व श्री/श्रीमती/कु0			
1	धनपाल सिंह रावत/30.09.67	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 30.09.2027 को सेवानिवृत्त होना है। तथा ये वर्तमान कार्यालय में ही अपनी सेवा देने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
2	कुन्दनलाल /15.03.1967/पिथौरागढ़	सिंचाई खण्ड, धारचूला	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये जिला पिथौरागढ़ के निवासी है। दिनांक 31.05.2025 के अनुसार इनकी आयु 58 वर्ष 02 माह 16 दिवस हो गई है। वरिष्ठ कार्मिक होने तथा इनकी 91 वर्षीय माताजी का अस्वस्थ होने के कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
3	खेमराज सिंह मटूड़ा/25.01.1970/उत्तरकाशी/	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये 40 प्रतिशत से ऊपर विकलांग है। तथा ये दुर्गम की सेवा करने के इच्छुक है। यदि स्थानान्तरण आवश्यक है तो जनपद उत्तराकाशी में स्थित निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में करने का विकल्प दिया है। 1. लघुडाल खण्ड उत्तरकाशी। 2. अवस्थापना खण्ड उत्तरकाशी। 3. पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी। साथ ही इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरकाशी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की है।
4	श्री राकेश कुमार सेमवाल /15.07.73 /टिहरी	सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये वर्तमान में सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग में कार्यरत है तथा सिंचाई खण्ड श्रीनगर में द्वैत कार्यभार के रूप में कार्य कर रहे है। ये दुर्गम क्षेत्र में ही कार्य करने के इच्छुक है। इनके साथ इनकी 80 वर्षीय वृद्व माता एवं पुत्र भी रहता है, पुत्री उच्च शिक्षा हेतु देहरादून मुख्यालय पर है पुत्री की देखभाल हेतु इनकी धर्मपत्नी पुत्री के साथ रहती है, जिस कारण माताजी एवं पुत्र की सम्पूर्ण जिम्मेदारी इन पर ही है। जिस कारण इनके द्वारा इनका स्थानान्तरण सिंचाई खण्ड श्रीनगर में किये जाने का अनुरोध किया है।	
5	कमल सिंह पंवार/15.12.70/पौड़ी	पी0एम0जी0एस0 वाई सिंचाई खण्ड बैजरो	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान खण्ड में 09 माह की सेवा हुई है। ये दुर्गम क्षेत्र में ही सेवा करना चाहते है, जिस कारण इनके द्वारा इन्हें स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।	
6	श्रीमती हेमा मलियान/17.2.78/चमोली	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि ये पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड/लो.नि.वि. पिथौरागढ़ के विरूद्व नलकूप खण्ड देहरादून में कार्यरत है। ये दिव्यॉग कार्मिक तथा एकल अभिभावक भी है इनके दो छोटे–छोटे बच्चे हैं, जिनकी देख–रेख ये स्वंय करती है। इनके द्वारा स्थानान्तरण हेतु निम्न विकल्प दिया गया है– 1. पीएमजीएसवाई देहरादून। 2. अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून। 3. सिंचाई खण्ड देहरादून।	इनके द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली द्वारा प्रदत्त विकलांग प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।

			4. परियोजना खण्ड ऋषिकेश। इनके द्वारा यह भी उल्लेख किया है कि यदि इनका स्थानान्तरण उक्त खण्डों में नहीं किया जाता है, तो इनको पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड/लोनिवि, पिथौरागढ़ के विरूद्व नलकूप खण्ड देहरादून में सम्बद्व कर यथावत रखने का अनुरोध किया है।	
07	श्रीमती विजय लक्ष्मी/6.9.81/चमोली	लघुडाल खण्ड अलमोड़ा	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी दुर्गम क्षेत्र की सेवायें 18 वर्ष 06 माह 01 दिवस की है तथा ये पुनः अति दुर्गम क्षेत्र अल्मोड़ा में कार्यरत है (सम्बद्व अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून)। इनके द्वारा सुगम क्षेत्र देहरादून में पदस्थापित करने का अनुरोध किया है। अन्यथा पूर्व पदस्थापित खण्ड में यथावत (सम्बद्व अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून) रखने का अनुरोध किया है।	
08	प्रदीप पाल/19.3.81/देहरादून	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में मुख्य प्र.अधिकारी के पद पर विगत माह सितम्बर 2024 से कार्यरत है। इनके द्वारा देहरादून मुख्यालय पर स्थित निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण का विकल्प दिया। अन्यथा वर्तमान खण्ड में यथावत् रखने की वॉछना की है। 1. सिंचाई खण्ड, देहरादून। 2. नलकूप खण्ड देहरादून। 3. परियोजना खण्ड देहरादून। 4. सिंचाई खण्ड कालसी। 5. सिंचाई खण्ड विकासनगर। 6. अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून। 7. पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड देहरादून।	
09	हरि सिंह भण्डारी/7.12.72/अल्मोड़ा	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि दुर्गम क्षेत्र में सेवा के 07 वर्ष 10माह 19दिन पूर्ण हो चुके है। इनका परिवार पीरूमदारा, रामनगर में निवासरत है। इनकी पत्नी हृदय रोग से पीड़ित है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में सुगम क्षेत्र के किसी खण्ड में स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।	इनके द्वारा निजी चिकित्सालय के पर्चे की छायाप्रति संलग्न की है।
10	अमनपाल/20.08.67/देहरादून	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–1, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये दुर्गम क्षेत्र में ही सेवा करने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से छूट प्रदान करने हुए वर्तमान खण्ड में यथावत रखने का अनुरोध किया है।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक सं.–22, दिनांक 14.05.2025 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।
11	श्रीमती चन्द्रा पाठक/12.08.1969/नैनीताल	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनकी आयु लगभग 56 वर्ष हो चुकी है। इनका स्वास्थ्य खराब है इनके लीवर में पत्थरी है, जिसका उपचार अल्मोड़ा में किसी भी अस्पताल में नहीं है एवं इन्हें उपचार हेतु बार–बार हल्द्वानी जाना पड़ता है, जिससे इनको शारीरिक एवं आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इनकी एक 13 वर्षीय पुत्री का स्वास्थ्य अकसर खराब रहता है, जिस कारण पुत्री की शिक्षा एवं स्वास्थ्य को देखते हुए पुत्री का एडमिसन हल्द्वानी स्थित विद्यालय में ही करवाया गया है। इनके पति वर्तमान में उत्तर प्रदेश के रूहेलखण्ड क्षेत्र में कार्यरत है तथा ये अल्मोड़ा मुख्यालय में कार्यरत है जिसके कारण पुत्री की उचित देखभाल नहीं होने के कारण एवं इनके स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियों के कारण ये अकसर मानसिक रूप से परेशान रहती है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इनका स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में हल्द्वानी मुख्यालय में स्थित किसी भी एक कार्यालय में करने का अनुरोध किया है।	
12	गिरीश प्रसाद डोभाल 22.10.1969/देहरादून	पी0एम0जी0 एस0वाई सिंचाई खण्ड–2, श्रीनगर		
13	अश्वनी कुमार बहुगुणा/10.07.1973/टिहरी	पी0एम0जी0 एस0 वाई0 सिंचाई खण्ड–1, नईटिहरी		
14	रामचन्द्र सुयाल/5.1.69	सिंचाई खण्ड,	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी आयु लगभग 57 वर्ष है। इनके द्वारा इनकी आयु को देखते हुए इनका स्थानान्तरण सिंचाई खण्ड नैनीताल से	

		नैनीताल	सुगम हेतु होने वाले रिक्त पदों के सापेक्ष 04 ऐच्छिक स्थानों में से किसी एक में करने का अनुरोध किया है– 1. पीएमजीएसवाई, सिं.ख. हल्द्वानी। 2. जमरानी बॉध निर्माण खण्ड–2 हल्द्वानी। 3. सिंचाई खण्ड रूद्रपुर। 4. सिंचाई खण्ड सितारगंज। यदि इनका स्थानान्तरण उक्त खण्डों में नहीं किया जाता है तो इन्हें सिंचाई खण्ड नैनीताल में ही पदस्थापित रहने का अनुरोध किया है।	
15	नीरज कुमार,/16–4–1968/ देहरादून/	सिंचाई खण्ड , पुरोला	इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में अपना स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र में स्थित निम्न कार्यालयों में से किसी एक में करने हेतु विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड, विकासनगर। 2. सिंचाई खण्ड, कालसी (अम्बाड़ी) 3. सिंचाई खण्ड, देहरादून। 4. अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून। 5. पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड, देहरादून। इनके द्वारा यह भी सूचित किया है कि इनकी सेवानिवृत्ति का दिनांक 30. 04.2028 है। यदि किसी कारणवश उपरोक्त दिये गये विकल्पों में से किसी एक पर इनकी पदस्थापना किया जाना सम्भव न हो तो इनका स्थानान्तरण न करते हुए वर्तमान कार्यालय में ही पदस्थापित रहने का अनुरोध किया है।	
16	नीरज कुमार 14.09.1973 (नैनीताल)	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चम्पावत	इनके द्वारा स्थानान्तरण हेतु वरीयतानुसार निम्न ऐच्छिक स्थान दिये है– 1. पीएमजीएसवाई, सिं.ख. कोटद्वार। 2. पीएमजीएसवाई, देहरादून। 3. परियोजना खण्ड, देहरादून। 4. अनुसंधान एवं नियोजन ख., दे.दून। 5. सिंचाई खण्ड, हरिद्वार। 6. सिंचाई खण्ड, काशीपुर। 7. सिंचाई खण्ड, रामनगर।	
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी		
1	सत्यपाल सिंह बिष्ट/17. 07.1975/उत्तरकाशी	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड जनपद उत्तरकाशी के अध्यक्ष है। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं.–02, दिनांक 05.05.2025 द्वारा भी अवगत कराया है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है।	सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड जनपद शाखा–उत्तरकाशी द्वारा प्रदत्त पत्रांक–02, दिनांक 05.05.2025 की छायाप्रति संलग्न है।
2	प्रभात सिंह/ 24.06. 1985/उत्तरकाशी/	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में 04 वर्ष से अधिक का समय नहीं हुआ है और ये दुर्गम में ही सेवा करने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
3	सुनील दत्त थपलियाल/ 25.7.84/टिहरी	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–1, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनके द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 02.09.2023 को वर्तमान खण्ड में कार्यभार ग्रहण किया गया है। वर्तमान खण्ड में मात्र 01 वर्ष 04 माह का समय हुआ है। इनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है। जिस कारण 02 वर्ष के अबोध बालक की देखभाल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 से मुक्त रखते हुए वर्तमान खण्ड में यथावत रखने का अनुरोध किया है। मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05.2025 द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग जनपद पौड़ी के अध्यक्ष है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त जनपद शाखा के पदाधिकारियों की सूची मय विज्ञप्ति (छायाप्रति) सहित संलग्न है।
4	सुशील प्रसाद /05–06–1976	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–2, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में दिनांक 01 अगस्त 2024 को व.प्र.अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इनको वर्तमान खण्ड में 01 वर्ष से कम का समय ही हुआ है और ये वर्तमान खण्ड (दुर्गम क्षेत्र) में ही सेवा करने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
5	राजीव नेगी/01.07. 77/टिहरी	सिंचाई खण्ड टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में दिनांक 01 जुलाई 2024 को व.प्र.अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इनको वर्तमान खण्ड में 01 वर्ष से कम का समय ही हुआ है और ये वर्तमान खण्ड (दुर्गम क्षेत्र) में ही सेवा करने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05. 2025 द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग जनपद टिहरी के अध्यक्ष है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट

				प्रदान करने का अनुरोध किया है। मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनपद शाखा के पदाधिकारियों की सूची की छाया प्रति संलग्न है।
6	रजनीश सिंह/22.12.78/टिहरी	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड'–1, नई टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में दिनांक 10.10.2023 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। वर्तमान खण्ड में इन्हें 01 वर्ष 06 माह का ही समय हुआ है। ये वर्तमान खण्ड (दुर्गम क्षेत्र) में ही कार्य करने के इच्छुक है। स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण अनिवार्य है तो देहरादून के किसी भी खण्ड में करने की वॉछना की है।	
7	श्रीमती गरिमा वर्मा 02.04.1987/चम्पावत	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	इनके द्वारा निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण का विकल्प दिया है– 1. पीएमजीएसवाई, सि.ख. हल्द्वानी। 2. जमरानी बॉध निर्माण खण्ड–2, हल्द्वानी। 3. नलकूप खण्ड हल्द्वानी। 4. सिंचाई खण्ड हल्द्वानी। 5. सिंचाई खण्ड काशीपुर। 6. सिंचाई खण्ड, रामनगर। 7. सिंचाई खण्ड सितारगंज। 8. सिंचाई खण्ड रूद्रपुर।	
8	ज्ञानेन्द्र सिंह कैन्तुरा/06–07–1985/टिहरी	सिंचाई खण्ड टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में दिनांक 19.10.2024 से व. प्र.अधिकारी के पद पर कार्यरत है। वर्तमान खण्ड में इन्हें 01 वर्ष से कम का समय ही हुआ है। ये वर्तमान खण्ड (दुर्गम क्षेत्र) में रहने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण अनिवार्य है तो ऋषिकेश के किसी भी खण्ड में करने की आपेक्षा की गई है।	
9	दीपक रावत/ 03.09.1989 उत्तरकाशी	लघुडाल खण्ड, उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में दिनांक 04.10.2024 से कार्यरत है। वर्तमान खण्ड में इन्हें 04 वर्ष से अधिक का समय नहीं हुआ है। ये दुर्गम क्षेत्र में ही सेवा करने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
10	मनोज बहुगुणा/10.11.87/ चमोली	सिंचाई खण्ड श्रीनगर		
11	श्रीमती सुलोचना/26.1.74/उत्तकाशी	पी.एम.जी. एस.वाई. सिं.खण्ड पुरोला उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी माता जी का स्वास्थ्य खराब रहता है। इनकी माता जी के साथ कोई नहीं रहता जिस कारण इन्हें ही उनकी देखभाल करनी पड़ती है। ये दुर्गम (वर्तमान खण्ड) में ही सेवा करने की इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा पत्रांक सं–22, दिनांक 14.05.2025 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।
12	सुनील कुमार/1.3.80/ चमोली	पी.एम.जी. एस.वाई. सिं.खण्ड रूद्रप्रयाग		
13	रामसागर वाराणसी, 10–1–1975	सिंचाई खण्ड, पुरोला	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका परिवार डाकपत्थर मुख्यालय पर निवासरत है। इनकी माता जी का स्वास्थ्य खराब रहता है। जिनकी देखभाल करने वाले वे अपने परिवार में एकमात्र पुरूष सदस्य है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में सुगम क्षेत्र के निम्न कार्यालय में से किसी एक कार्यालय में स्थानान्तरण का विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड विकासनगर। 2. सिंचाई खण्ड, कालसी (अम्बाड़ी)। 3. अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर।	
14	ललित जोशी/ 25.12.83/बागेश्वर	लघु डाल खण्ड, अल्मोडा	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05.2025 द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिचांई विभाग जनपद अल्मोड़ा के अध्यक्ष है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त जनपद शाखा के पदाधिकारियों की सूची मय विज्ञप्ति (छायाप्रति)

				सहित संलग्न है।
15	पारेश्वर प्रसाद / 01.07.1986 / पौढ़ी गढ़वाल	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	*मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05.2025 द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग जनपद नैनीताल के अध्यक्ष है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।*	*मिनिस्टीरियल एसोसिएशन* सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त जनपद शाखा के पदाधिकारियों की सूची मय विज्ञप्ति (छायाप्रति) सहित संलग्न है।
16	श्रीमती उर्मिला सैनी / 01–01–1975 / मुरादाबाद।	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ		
प्रशासनिक अधिकारी				
1	श्रीमती संगीता देवी / 01.07.87 / चमोली	लघु डाल खण्ड श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इन्हें वर्तमान कार्यालय में 02 वर्ष 04 माह का समय हुआ है। इनके पति शिक्षा विभाग में अतिदुर्गम निकटवर्ती क्षेत्र में कार्यरत है तथा बेटा मात्र 10 वर्ष का है जो कि श्रीनगर मुख्यालय पर अध्ययनरत है, जिस कारण ये सुगम में जाने की इच्छुक नहीं है। इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तण से छूट प्रदान करते हुए दुर्गम क्षेत्र में स्थित कार्यालय लघु डाल खण्ड, श्रीनगर में यथावत् रखने का अनुरोध किया है।	
2	मनीश मुसाण / 31.01.90 / टिहरी	सिंचाई खण्ड श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये अपनी राजकीय सेवायें दुर्गम क्षेत्र में ही देने के इच्छुक है। इनका स्वास्थ्य खराब रहता है तथा इनका परिवार भी श्रीनगर गढ़वाल में आवासरत है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनका स्थानान्तरण पीएमजीएसवाई सिं.ख. कोटद्वार से सिंचाई खण्ड, श्रीनगर किया गया था। इसी वर्ष इनकी पदोन्नति वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर होनी सम्भावित है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
3	श्रीमती कविता नौटियाल / 01.06.84	सिंचाई खण्ड, नईटिहरी	इनके द्वारा सुगम क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पदों के सापेक्ष 02 इच्छित स्थानों का विकल्प दिया है– 1. नलकूप खण्ड देहरादून। 2. परियोजना खण्ड देहरादून। **यदि दिये गये विकल्पों पर स्थानान्तरण सम्भव न हो तो वर्तमान खण्ड में यथावत रखने का अनुरोध किया है।**	
4	कृष्णानन्द पुरी / 20.05.80 / उत्तकाशी	लघु डाल खण्ड,, उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड जनपद उत्तरकाशी में जनपद सचिव हैं, एवं इनकी वृद्ध माता एवं एक छोटी बहन जो कि शारीरिक रूप से 60 प्रतिशत विकलांग है, जिनकी सम्पूर्ण देखभाल इनके द्वारा ही की जाती है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से अवमुक्त रखते हुए उत्तरकाशी मुख्यालय में ही यथावत रखने का अनुरोध किया गया है।	इनके द्वारा **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उत्तरकाशी** का **विकंलागता प्रमाण पत्र** तथा मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्ताराखण्ड, जनपद–उत्तरकाशी की **चुनाव विज्ञप्ति** की छायाप्रति संलग्न की है। इस सम्बन्ध में मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्ताराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05.2025 द्वारा भी अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिचांई विभाग जनपद उत्तरकाशी के सचिव है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। छाया प्रति संलग्न।
5	सुनील कान्त जुयाल / 1.7.86 / पौडी	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–2, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये वर्तमान में अपनी माताजी, धर्मपत्नी एवं बच्चों जिसमें एक चौथी कक्षा में अध्ययरत है एवं दूसरा डेढ़ साल का है, के साथ श्रीनगर में निवासरत है, इनकी माताजी जी Osteoarthritis रोग से ग्रसित होने के कारण चलने–फिरने में असमर्थ है। माताजी की देख–रेख इन पर निर्भर है। वर्तमान में इनकी माताजी का उपचार श्रीनगर में चल रहा है। ये दुर्गम में ही कार्यरत रहने के इच्छुक है, जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें श्रीनगर मुख्यालय में निम्न में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है–	

			1. पीएमजीएसवाई, सिं.ख.–2, श्रीनगर गढ़वाल 2. लघु डाल खण्ड, श्रीनगर गढ़वाल। 3. सिंचाई खण्ड, श्रीनगर गढ़वाल। 4. पीएमजीएसवाई, सिं.ख.–02, श्रीनगर गढ़वाल। इनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि इनको श्रीनगर मुख्यालय में कार्यरत रखना संभव न हो तो, इनका सुगम क्षेत्र के निम्न में से किसी भी एक खण्ड में स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है– 1. परियोजना खण्ड, ऋषिकेश। 2. अवस्थापना (पुर्न.) खण्ड ऋषिकेश। 3. पीएमजीएसवाई सिं.ख. देहरादून। 4. नलकूप खण्ड, देहरादून। 5. परियोजना खण्ड, देहरादून। 6. सिंचाई खण्ड, देहरादून। 7. सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर। 8. सिंचाई खण्ड, दुगड्डा। 9. पीएमजीएसवाई, सिं.खण्ड कोटद्वार।	
6	श्री पंकज कुमार / 02.03. 1977 / पिथौरागढ़	पीएमजीएस वाई सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण के इच्छुक नहीं है। इनकी 78 वर्षीय माता जी का उपचार जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ से चल रहा है। ये जनपद पिथौरागढ़ में मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के सचिव भी है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा मिनिस्ट्रीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड) के चुनाव विज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न की है। इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05. 2025 द्वारा भी अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिचांई विभाग जनपद पिथौरागढ़ के सचिव है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। छाया प्रति संलग्न।
7	विरेन्द्र दत्त डोभाल / 15.05.83 / उत्तरकाशी	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चिन्यालीसौड		
8	विजेन्द्र सिंह रावत / 15–10–1984 / टिहरी	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी		
9	दिनेश चन्द्र / 15.7. 81 / चमोली	सिं.ख. रूद्रप्रयाग	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में इनके द्वारा दिनांक 20.12. 2024 को कार्यभार ग्रहण किया है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से छूट प्रदान करने हुए वर्तमान खण्ड में यथावत रखने का अनुरोध किया है।	
10	प्रदीप सिंह / 9.10. 82 / देहरादून	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	इनके द्वारा दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु निम्न एच्छिक स्थानों का विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड, विकासनगर। 2. सिंचाई खण्ड, कालसी। 3. अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर। 4. नलकूप खण्ड, देहरादून। 5. परियोजना खण्ड, देहरादून। 6. सिंचाई खण्ड, देहरादून। 7. अनुसंधान खण्ड, देहरादून। 8.पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड दे.दून।	
11	अंकुर चौहान / 14.10.85	सिंचाई		

	सहारनपुर	खण्ड़, श्रीनगर		
12	भरत सिंह चौहान /01–07–1979/टिहरी।	सिंचाई खण्ड़, रूद्रप्रयाग		
13	गंगा शरण 09.04.1982/देहरादून	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–1, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये दुर्गम की सेवा करने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से मुक्त रखते हुए वर्तमान खण्ड में यथावत रखने का अनुरोध किया है।	
14	योगेन्द्र सिंह/ 29.7.86/रूद्रप्रयाग	सिंचाई खण्ड़, केदारनाथ		
प्रधान सहायक				
1	शम्भू प्रसाद व्यास/01.07.66/उत्तरकाशी	सिंचाई खण्ड़, उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि माह जून 2025 में इनकी आयु 59 वर्ष पूर्ण हो जायेगी, जिस कारण इनके द्वारा वरिष्ठ कार्मिक होने के फलस्वरूप स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है। साथ ही इनके द्वारा सूचित किया है कि ये दुर्गम में ही रहना चाहते है। इनके द्वारा अनिवार्य स्थानान्तरण पर निम्नानुसार स्थानान्तरण हेतु विकल्प दिया है:– 1. सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी। 2. अवस्थापना खण्ड उत्तरकाशी। 3. लघुडाल खण्ड उत्तरकाशी।	
2	भगत सिंह/10.6.65/चमोली	सिंचाई खण्ड़, चमोली	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये **30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होगें। वरिष्ठ कार्मिक** होने के फलस्वरूप स्थानान्तरा से **अवमुक्त** रखने का अनुरोध किया है।	
3	ललित मोहन भट्ट/ 10.7.73/अल्मोड़ा	लघु डाल खण्ड़, अल्मोडा	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड की जिला शाखा–अल्मोड़ा के जिला सचिव के पद पर है। स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा संघ विज्ञप्ति की छाया प्रति संलग्न की है। इस सम्बन्ध में मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05.2025 द्वारा भी अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिचांई विभाग जनपद अल्मोड़ा के सचिव है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। छाया प्रति संलग्न।
4	सुन्दर लाल थपलियाल /01–12–1969/ उत्तरकाशी।	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड़, चिन्यालीसौड	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनके साथ इनकी दो वृद्व मातायें है, जिनकी आयु 80 वर्ष एवं 95 वर्ष है, ये इनके इकलौते पुत्र है। इनकी देखभाल करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी इन पर ही है। इनकी पदोन्नति सितम्बर 2024 में हुई है तथा एक वर्ष का समय भी पूर्ण नहीं हुआ है एव ना ही इन्हें किसी भी एक खण्ड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं हुई है। ये दुर्गम क्षेत्र (वर्तमान खण्ड) में सेवा करने के इच्छुक है। जिस कारण वर्तमान खण्ड में यथावत् रहने का अनुरोध किया है।	
5	हरिकृष्णजोशी/ 25.9.71/ चमोली	लघु डाल खण्ड़, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये वर्तमान समय में मिनिस्टीरियल एसोशिऐशन, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के अन्तर्गत जिला शाखा पौड़ी में जनपदीय सचिव है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से अवमुक्त रखते हुए वर्तमान खण्ड में यथावत् रखने का अनुरोध किया है।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05.2025 द्वारा भी अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिचाई विभाग जनपद पौड़ी के सचिव है, जिस

				कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। छाया प्रति संलग्न।
6	राजेन्द्र सिंह / 15.7.71 / टिहरी	सिंचाई खण्ड नई टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये वर्तमान खण्ड में दिनांक 22.10.2024 से प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत है। वर्तमान खण्ड में 01 वर्ष से कम का समय ही हुआ है। ये वर्तमान खण्ड (दुर्गम क्षेत्र) में रहने के इच्छुक है। स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण अनिवार्य है तो ऋषिकेश के किसी भी खण्ड में करने की आपेक्षा की गई है।	
7	विनोद लाल / 17.9.69 / टिहरी	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी जन्म तिथि 17.09.1969 है, दिनांक 31.05.2025 को 55 वर्ष 08 माह 31 दिन हो रहे है। इनको वर्तमान कार्यालय में 06 माह 10 दिन हो रहे है, ये दुर्गम क्षेत्र में ही कार्य करने के इच्छुक है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में अनिवार्य स्थानान्तरण दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र की पात्रता सूची से इनका नाम हटाने का अनुरोध किया है।	
8	राजेश चन्द्र सती / 15.5.74 / बागेश्वर	सिंचाई खण्ड, कपकोट		
9	रोशन सिंह / 28.11.85 / पौड़ी	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–1, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ, जिला पौड़ी गढ़वाल के जनपदीय सचिव के पद पर निर्वाचित हुये है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से मुक्त रखते हुए पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड–1, श्रीनगर में यथावत् रखने का अनुरोध किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड ने पत्रांक संख्या–178, दिनांक 13.05.2025 द्वारा अवगत कराया है ये सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड जिला पौड़ी गढ़वाल के जनपदीय सचिव है, जिस कारण इन्हें स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है।	सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त प्रान्तीय अध्यक्ष एवं महामंत्री की सूची चुनाव विज्ञप्ति की छाया प्रति संलग्न है।
10	ओम प्रकाश सिंह / 25.7.73 / उ0नगर	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनको पूर्व में पैरालाईज की समस्या हो गयी थी, जिसका ईलाज सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी से चल रहा था। लेकिन इनका समय से उपचार न होने के कारण नसों में दिक्कत हो गई है। इनकी माताजी भी काफी वृद्व है, जिनकी देखभाल भी इन्हें को ही करनी पड़ती है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में दुर्गम क्षेत्र में ही स्थानान्तरित किये जाने का विकल्प दिया है– 1. पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड ज्योलीकोट। 2. नलकूप खण्ड रामनगर (दुर्गम क्षेत्र) या रानीखेत। है	इनके द्वारा सुशीला तिवारी अस्पताल की चिकित्सा पर्ची की छायाप्रति संलग्न की है।
11	लक्ष्मण राम / 5.7.87 / पिथौरागढ	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ	ये दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण के इच्छुक नहीं है। इनकी 80 वर्षीय माताजी श्सांस सम्बन्धित गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ से चल रहा है। ये जनपद पिथौरागढ़ में मिनिस्ट्रीयल एसोसियेशन के जिलाध्यक्ष है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा मिनिस्ट्रीरियल एसोसिएशन, सिंचाई विभाग, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड) की चुनाव विज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न की है। इस सम्बन्ध में मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05.2025 द्वारा भी अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिचांई विभाग जनपद पिथौरागढ़ के अध्यक्ष है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। छाया प्रति संलग्न।
12	किशोरी लाल / 25.5.78 / टिहरी	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चम्बा	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका पूरा परिवार नई टिहरी में निवासरत है। तथा इनकी दो बेटियाँ कॉलेज की पढ़ाई कर रही है, जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखते हुए वर्तमान खण्ड में यथावत् रखने का अनुरोध किया है। या फिर नई टिहरी के किसी भी खण्ड में स्थानान्तरण की आपेक्षा की है।	
13	कु0 गीता आर्या 3.06.1978 / अल्मोड़ा	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका स्वास्थ्य खराब रहता है, इनका उपचार जिला पिथौरागढ़ में चल रहा है। तथा चिकित्सक द्वारा इन्हें दुर्गम क्षेत्र में रहने हेतु कहा गया है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा निजी चिकित्सक का पर्चा संलग्न किया है।

14	धीरज कुमार / 15.7.85 / उत्तरकाशी	सिंचाई खण्ड, पुरोला	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि ये अपने बच्चों सहित पुरोला मुख्यालय पर है, इनके बच्चें भी पुरोला मुख्यालय पर अध्ययनरत है, ये सिंचाई खण्ड, पुरोला में दुर्गम में कार्य करने के इच्छुक है। इनके द्वारा सूचित किया गया है कि इनका वर्ष–2025 में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नति होनी है, जिस कारण इनके द्वारा वर्तमान कार्यालय सिंचाई खण्ड पुरोला में ही यथावत् रखने का अनुरोध किया गया है।	
15	अतर सिंह नेगी / 16.3.82	पी0एम0जी0 एस0वाई0सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी		
16	राकेश कर्नाटक / 05.01.1992 / बागेश्वर	सिंचाई खण्ड, कपकोट		
17	अनिल प्रसाद / 1.6.85 / अल्मोडा	लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा		
18	राजेन्द्र सिह नाथ / 25–02–1976 / उत्तर काशी	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनके द्वारा वर्तमान खण्ड में दिनांक 23.11.2022 को योगदान दिया है। इनको वर्तमान खण्ड में 03 वर्ष से अधिक का समय नहीं हुआ है। इनकी 70 वर्ष से अधिक आयु की माताजी का स्वास्थ्य खराब रहता है। इनकी पत्नी भारतीय डाक विभाग में पोस्ट ऑफिस श्रीकोट (चिन्यालीसौड़) में पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत है। इसलिए ये दुर्गम में ही सेवा करने के इच्छुक है। स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा सहायक अधीक्षक डाकघर उत्तरकाशी उपमण्डल द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न किया है।
19	श्रीमती सीमा रावत / 15–05–1987 / टिहरी	सिंचाई खण्ड, नईटिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इन्हें वर्तमान खण्ड में लगभग डेढ़ वर्ष हुआ है। इनके दो छोटे बच्चे है जो कि टिहरी मे पढते है तथा इनके पति बहुत दूर रहते है जिससे बच्चों की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। ये वर्तमान खण्ड में ही रहने की इच्छुक है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में दुर्गम से सुगम के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु इन्हें छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
20	खुशाल सिंह / 17.5.90 / चमोली	सिंचाई खण्ड, चमोली	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन जनपद चमोली में जिला अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुये है। जिस कारण स्थानान्तारण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा चुनाव विज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न की है। इस सम्बन्ध में मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05.2025 द्वारा भी अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिचांई विभाग जनपद चमोली के अध्यक्ष है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। छाया प्रति संलग्न।
21	गिरीश चन्द्र / 30.6.78 / पौड़ी	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनकी माताजी अत्यंत बुजुर्ग है तथा जिनको नियमित देखभाल की आवश्यकता है इसके अतिरिक्त ये दुर्गम के खण्ड (सिंचाई खण्ड श्रीनगर गढ़वाल) में ही कार्यरत रहने के इच्छुक है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।	जिस पर मुख्य अभियन्ता श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अपने पत्रांक संख्या–55 / मु.अ.श्री. / सिं.वि., दिनांक 28.04.2025 द्वारा इन्हें **स्थानान्तरण से मुक्त रखते हुए सिंचाई खण्ड श्रीनगर में यथावत्** रखने का अनुरोध किया है।
22	अनुपमा बधानी / 01.07.1985 / उत्तरकाशी	लघु डाल खण्ड, उत्तरकाशी		
23	राकेश चन्द्र / 30.6.	सिंचाई	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी नाबालिक पुत्री 40 प्रतिशत दिव्यांग	मुख्य चिकित्सा अधिकारी

	79 / चमोली	खण्ड, केदारनाथ	है तथा इनकी धर्मपत्नी माईग्रेन बीमारी से पीड़ित है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सिंचाई खण्ड चमोली में करने का अनुरोध किया है।	चमोली द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न
24	प्रदीप कुमार / 17.8.86 / पौड़ी	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि ये दुर्गम के खण्ड (सिंचाई खण्ड श्रीनगर गढ़वाल) में ही कार्यरत रहने के इच्छुक है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।	**मुख्य अभियन्ता श्रीनगर गढ़वाल** द्वारा अपने पत्रांक संख्या–55 / मु.अ.श्री. / सिं. वि., दिनांक 28.04.2025 द्वारा इन्हें **स्थानान्तरण से मुक्त रखते हुए सिंचाई खण्ड श्रीनगर में यथावत्** रखने का अनुरोध किया है।
25	सुरेन्द्र सिंह / 10.6. 79 / चमोली	सिंचाई खण्ड, चमोली	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी वृद्ध माताजी (उम्र 83 साल) तथा इनके बच्चे छोटे है जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी इन पर है, जिस कारण ये दुर्गम क्षेत्र में ही कार्य करना चाहते है। इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण से मुक्त रखते हुए वर्तमान खण्ड में ही यथावत रखने का अनुरोध किया है। यदि अनिवार्य स्थानान्तरण किया जाता है तो इनके द्वारा दुर्गम क्षेत्र हेतु निम्न ऐच्छिक स्थान के विकल्प दिये है– 1. सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग। 2. पीएमजीएसवाई, सिं.खण्ड, रूद्रप्रयाग। 3. सिंचाई खण्ड थराली।	
26	सुनील कुमार / 02.07.78 / पौड़ी	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–1, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इस स्थानान्तरण सत्र हेतु ये अपनी राजकीय सेवायें दुर्गम क्षेत्र मे देने के इच्छुक है। साथ ही वर्तमान में इनकी पत्नी भी राजकीय पॉलीटेक्निक श्रीनगर गढ़वाल में कार्यरत है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से मुक्त रखते हुए पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड–1, श्रीनगर गढ़वाल में ही यथावत् रखने का अनुरोध किया है। ताकि पति–पत्नी एक स्थान पर राजकीय कार्यो का सम्पादन कर सकें।	
27	कु0 प्रियंका / 4.8.82	अवस्थापना पुर्नवास खण्ड नई टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप इनके द्वारा वर्तमान खण्ड में दिनांक 25.10.2024 को योगदान दिया था। वर्तमान खण्ड में 06 माह 05 दिन का समय ही हुआ है, जो कि तीन वर्ष से न्यूनतम है। ये वर्तमान खण्ड (दुर्गम) में कार्य करने की इच्छुक है। ये वर्तमान में अपने बुजुर्ग माता–पिता के साथ रहती है। इनके अलावा अन्य कोई भी बुजुर्ग माता–पिता की देख–रेख करने वाला नहीं है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करते हुए वर्तमान खण्ड में यथावत् रखने का अनुरोध किया है। चूंकी ये दुर्गम क्षेत्र में रहने की इच्छुक है जिस कारण इनके द्वारा निम्नलिखित दुर्गम खण्डों में से किसी एक खण्ड में पदस्थापित करने का अनुरोध किया है– 1. सिंचाई खण्ड नई टिहरी। 2. पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड द्वितीय नई टिहरी। 3. पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड चम्बा। 4. पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड प्रथम नई टिहरी।	
28	विक्रम सिंह / 01–10–1985 / टिहरी	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–1, नईटिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी पत्नी स्वास्थ्य विभाग में फार्मेसी अधिकारी के पद पर दुर्गम क्षेत्र मदननेगी ब्लॉक जाखणीधार टिहरी में कार्यरत है। इनको दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष से ज्यादा का समय नहीं हुआ है। शासनादेश संख्या–588(1), दिनांक 28.05.2008 के अनुसार यदि पति पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद / नगर / स्थान पर तैनात किये जाने के फलस्वरूप स्थानान्तरण सत्र 2025 से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है ।	
29	राजेन्द्र प्रसाद नौटियाल / 24.10.72 / टिहरी	सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	ये दुर्गम क्षेत्र के वर्तमान खण्ड में कार्य करने के इच्छुक है जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से छूट प्रदान करते हुए वर्तमान खण्ड में यथावत रखने का अनुरोध किया है।	
30	बलराम / 1.1. 70 / बिजनौर	सिंचाई खण्ड, पुरोला	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी दुर्गम क्षेत्र की सेवा 07 वर्ष से अधिक है, इनकी आयु 55 वर्ष होने वाली है। इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में सुगम क्षेत्र के निम्न कार्यालय में से किसी एक कार्यालय में स्थानान्तरण करने हेतु विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड, विकासनगर। 2. सिंचाई खण्ड कालसी (अम्बाड़ी) 3. अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर।	
31	तेज सिंह थापा / 15.02. 74 / नैनीताल	सिंचाई खण्ड,	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका परिवार हल्द्वानी में निवासरत है। इनकी पत्नी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। इनके बच्चे देहरादून मे शिक्षा ग्रहण कर रहे है एवं प्राईवेट नौकरी हेतु अन्य राज्य के शहर में	

		पिथौरागढ़	निवासरत है। इनकी दुर्गम की सेवा 07 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। इनके द्वारा स्थानान्तरण हेतु निम्न विकल्प दिये है– 1. सिंचाई खण्ड पीएमजीएसवाई हल्द्वानी। 2. सिंचाई खण्ड हल्द्वानी। 3. नलकूप खण्ड हल्द्वानी। 4. जमरानी बॉध निर्माण खण्ड–2 हल्द्वानी। 5. सिंचाई खण्ड पीएमजीएसवाई ज्योलिकोट नैनीताल।	
32	सौरभ तिवारी / 08.01.1989 / नैनीताल	सिंचाई खण्ड, नैनीताल		
33	अरविन्द कुमार / 25.06. 1972 / पौडी गढवाल	सिंचाई खण्ड, पुरोला	इनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब होने तथा स्वंय के शुगर रोग से पीड़ित होने के कारण इनके द्वारा निम्नानुसार स्थानान्तरण हेुत विकल्प दिया है:– 1. सिंचाई खण्ड, विकासनगर, देहरादून। 2. सिंचाई खण्ड, कालसी, (अम्बाड़ी) देहरादून। 3. अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर, देहरादून।	
34	सोहन सिंह रावत / 01.06.1981 / नैनीताल	सिंचाई खण्ड, रानीखेत		
35	प्रवीण सिंह राणा 12.10.1984 / टिहरी	पी0एम0जी0 एस0वाई सिंचाई खण्ड–2, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये वर्तमान में अपनी धर्मपत्नी एवं पुत्र जो कक्षा–09 में अध्ययनरत है, के साथ श्रीनगर में निवासरत है, जिस कारण इनके द्वारा इन्हें श्रीनगर मुख्यालय के अन्तर्गत पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड–02, श्रीनगर गढ़वाल (दुर्गम) में ही यथावत् रखने का अनुरोध किया गया है।	
36	बिक्रम सिंह / 08–04–1984 / टिहरी	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि सत्र 2025–26 में इनकी पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी के पद पर लम्बित है। इनकी सुगम की कुल सेवा 09 वर्ष की, एवं लगभग 04 वर्ष से वर्तमान तक दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025–26 में इन्हें स्थानान्तरण से मुक्त करने एवं वर्तमान खण्ड श्रीनगर में ही रखने का अनुरोध किया है।	
37	श्री चन्द्र शेखर जोशी 21.02.1967 (चम्पावत्)	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट		
38	धर्मेन्द्र कुमार / 23.03. 1982 / टिहरी गढ़वाल	पी0एम0जी0 एस0वाई सिंचाई खण्ड–2, श्रीनगर	इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें निम्न में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरित करने का विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर। 2. परियोजना खण्ड ऋषिकेश। 3. अवस्थापना एवं पुनर्वास खण्ड ऋषिकेश।	
39	मोईन अहमद / 01–04–1981 / उ0प्र0	लघुडाल खण्ड, उत्तरकाशी		
40	अजय कुमार / 10.6. 86 / हरिद्वार	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये वर्तमान खण्ड में विगत 04 वर्ष 06 माह से अधिक समय से कार्यरत है। ये दुर्गम क्षेत्र में ही कार्य करने के इच्छुक है। इनके द्वारा स्थानान्तरण निम्नानुसार दिय गये एच्छिक विकल्प के अनुसार करने का अनुरोध किया है– 1. वर्तमान खण्ड में यथावत्। 2. पीएमजीएसवाई सिं.खण्ड जखोली। 3. सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग। साथ ही मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05.2025 द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिचाई विभाग जनपद रूद्रप्रयाग के शाखा अध्यक्ष है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त जनपद शाखा के पदाधिकारियों की सूची मय विज्ञप्ति (छायाप्रति) सहित संलग्न है। इस सम्बन्ध में मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05. 2025 द्वारा भी अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिचांई विभाग जनपद रूद्रप्रयाग के अध्यक्ष है, जिस कारण स्थानान्तरण

				2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। छाया प्रति संलग्न।
41	महावीर / 10.11.88 / टिहरी	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर (दुर्गम क्षेत्र)		
42	निशान्त मित्तल / 26.01.1996 / हरिद्वार	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बैजरो		
43	राधेश्याम / 2.8.86 / गोरखपुर उत्तर प्रदेश	सिंचाई खण्ड, थराली	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका परिवार देहरादून निवासरत है, इनकी पत्नी की तबियत पिछले 06 वर्षो से खराब चल रही है उनकी एल–4, एवं एल–5 की नस दबी हुई है, चिकित्सक द्वारा उन्हें बेड रेस्ट की सुझाव दिया गया है, इनका छोटा लड़का है जो देहरादून में अध्ययनरत है। इनका कार्यालय दूरस्थ लगभग 270 किमी0 होने के कारण इनकी पत्नी का ईलाज भली भाती नहीं हो पा रहा है। जिस कारण इनके द्वारा इनका स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण देहरादून के किसी भी खण्ड में किये जाने का अनुरोध किया गया है।	
44	आशीष सुयाल / 29.10.91 / पौड़ी	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ		
45	सूरज मल / 05.06.73 / सहारनपुर	अवस्थापना (पुर्न) खण्ड, नईटिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है वर्तमान खण्ड में 04 वर्ष 06 माह 19 दिन का समय हो चुका है। इनकी पत्नी का एक्सीडेन्ट होने के कारण उनके पैरों में गम्भीर चोट आई है, जिसका ईलाज मुजफ्फरनगर से चल रहा है। इनके अलावा घर पर कोई अन्य व्यक्ति देख–रेख करने हेतु नहीं है। इनके द्वारा सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निम्न विकल्प दिये है– 1. नलकूप खण्ड बहादराबाद, हरिद्वार। 2. नलकूप खण्ड रूड़की। 3. अवस्थापना खण्ड रूड़की। यदि स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र में होना सम्भव न हो तो वर्तमान खण्ड यथावत् रखने का अनुरोध किया है।	
46	दलवीर सिंह / 10.8.80 / उ0नगर	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ		
47	सोनू कुमार / 9.1.86 / हरिद्वार	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, जखोली	इनके द्वारा स्थानान्तरण हेतु निम्न विकल्प दिये है– 1. जलविज्ञान खण्ड, बहादराबाद। 2. नलकूप खण्ड हरिद्वार। 3. सिंचाई खण्ड रूड़की। 4. नलकूप खण्ड रूड़की। 5. स्थापना खण्ड रूड़की।	
48	मयंक रावत / 22.07.1990 / टिहरी गढ़वाल	सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग		
49	श्रीमती रजनी / 10.07.1990 देहरादून	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, पुरोला	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्ष 2020 में इनकी प्रथम पदोन्नति पर स्थानान्तरण (पदस्थापना) दुर्गम क्षेत्र के अन्तर्गत पीएमजीएसवाई सिं.ख. पुरोला में की गई थी तथा वर्ष 2024 में वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति होने पर स्थानान्तरण /पदस्थापना पुनः पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड, पुरोला में ही कर दी गई। इनका परिवार देवबन्द उत्तर प्रदेश में निवासरत है। इनके पति चण्डीगढ़ में कार्यरत है। इनके ससुर जी हृदय	

		उत्तरकाशी	रोग से पीड़ित है, एवं इनकी सास को उच्च रक्तचाप, थायरॉयड एवं सरवाईकल की समस्या है। इनका 02 वर्ष का शिशु है जिसा स्वास्थ्य अकसर खराब रहता है। इन्होंने दुर्गम क्षेत्र में लगभग 04 वर्ष 06 माह की सेवा पूर्ण कर ली है। जिस कारण इनके द्वारा इनका स्थानान्तनरण/पदस्थापना कालसी (अम्बाड़ी) मुख्यालय के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र अथवा रूड़की मुख्यालय (सुगम क्षेत्र) के अन्तर्गत किसी भी कार्यालय में करवाने का अनुरोध किया है।	
50	अभिषेक कुमार/10.7.91/ देहरादून	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग		
51	धीरेन्द्र सिंह नेगी/6.1.83/ अल्मोड़ा	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर		
वरिष्ठ सहायक				
1.	भूषण प्रसाद/8.5.67/उत्तरकाशी	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चिन्यालीसौड		
2.	श्रीमती सुभागा देवी/4.8.67 /चमोली	सिंचाई खण्ड, चमोली	इनके द्वारा अवगत कराया है कि 31.05.2025 को इनकी आयु 56 वर्ष 07 माह 27 दिन हो जायेगी। ये **वरिष्ठ कार्मिक, विधवा महिला एवं परिवार की अकेली सदस्या है**, इनके साथ 85 वर्षीय वृद्व सास रहती है जो अधिकतर बीमार रखती है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
3.	किशन लाल/ 10.07.1985/उत्तरकाशी	सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में इन्हें 01 वर्ष से अधिक का भी समय नहीं हुआ है और ये दुर्गम क्षेत्र में ही सेवा करना चाहते है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से इन्हें स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।	
4.	हेम चन्द्र/20.08.83/बागेश्वर	सिंचाई खण्ड, कपकोट	इनके द्वारा स्थानान्तरण हेतु निम्न विकल्प दिये है– 1. नलकूप खण्ड रामनगर। 2. सिंचाई खण्ड रामनगर। 3. जमरानी बॉध निर्माण खण्ड–2 हल्द्वानी। 4. नलकूप खण्ड हल्द्वानी। 5. सिंचाई खण्ड रूद्रपुर।	
5.	प्रकाश सिंह कफलिया/5.10.90 /अल्मोड़ा	सिंचाई खण्ड, रानीखेत	इनके द्वारा स्थानान्तण हेतु निम्न खण्डों के विकल्प दिये है– 1. जमरानी बॉध निर्माण खण्ड–2 हल्द्वानी (सुगम क्षेत्र) 2. लघुडाल खण्ड पिथौरागढ़ (दुर्गम क्षेत्र)	
6.	सन्दीप रावत/ 25.6.96/पौडी	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, जखोली	इनके द्वारा स्थानान्तरण हेतु निम्न विकल्प दिये है– 1. पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड, कोटद्वार। 2. सिंचाई खण्ड दुगड्डा। 3. परिकल्प खण्ड रूड़की। 4. प्रशासन खण्ड रूड़की। 5. अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड रूड़की।	
7.	सतबीर सिंह पुण्डीर/13.3.86 /टिहरी	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर (दुर्गम क्षेत्र)	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका परिवार वर्तमान में नई टिहरी मुख्यालय पर निवासरत है। इनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। जिस कारण ये अपना स्थानान्तरण नई टिहरी मुख्यालय पर कराना चाहते है। इनके द्वारा नई टिहरी मुख्यालय पर स्थित निम्नलिखित दुर्गम क्षेत्र के किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण का अनुरोध किया है– 1. सिंचाई खण्ड नई टिहरी। 2. पीएमजीएसवाई सिं.खण्ड प्रथम नई टिहरी। 3. पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड द्वितीय नई टिहरी। 4. अवस्थापना खण्ड नई टिहरी	
8.	मनीष चन्द/23.11.89/चमोली	सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग		

9.	गोविन्द सिंह पंवार / 15.06.1989 / उत्तरकाशी	सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये अपने घर के वरिष्ठ सदस्य है और इनकी वृद्व माता जी को स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याए है, जिनकी सम्पूर्ण देखभाल इनके द्वारा की जाती है। ये दुर्गम क्षेत्र (वर्तमान खण्ड) में सेवा करने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से अवमुक्त रखते हुए उत्तरकाशी मुख्यालय में यथावत रखने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण अनिवार्य है तो दुर्गम क्षेत्र के उत्तरकाशी मुख्यालय के निम्न खण्डों हेतु विकल्प दिया है– 1. पीएमजीएसवाई सिं.ख. उत्तरकाशी। 2. अवस्थापना खण्ड उत्तरकाशी।	
10.	गिरीश सिंह / 18.02.78 / पिथौरागढ	सिंचाई खण्ड, धारचूला	अधिशासी अभियन्ता सिं.खण्ड धारचूला द्वारा अपने पत्र–852, दिनांक 06.05.2025अवगत कराया है कि इस खण्ड में कार्मिकों की अत्यन्त कमी हैं, साथ ही उक्त खण्ड दूरस्थ होने के कारण कोई भी कार्मिक यहाँ आने को इच्छुक नहीं होता है। वर्तमान में इस खण्ड के अन्तर्गत अतिमहत्वपूर्ण योजनायें गतिमान है। जिस कारण श्री गिरीश सिंह, व0सहायक को स्थानान्तरण सत्र 2025 से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
11.	कु0 वैशाली वर्मा / पिथौरागढ 12.10.1996	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनकी वृद्व माताजी है जो बीमार रहती है एवं अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। उनकी देखभाल इन्हें ही करनी पड़ती है। ये वर्तमान खण्ड (दुर्गम क्षेत्र) में अपनी सेवा करने की इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा श्री गंगा राम हास्पिटल नई दिल्ली का पर्चे की छायाप्रति संलग्न की है।
12.	कु0 दीपशिखा वर्मा 27.10.1995 / पिथौरागढ	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनके पति उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की शाखा बागेश्वर में तैनात है। इनकी वृद्व बीमार सास इनके साथ पिथौरागढ़ में रहती है। ये दुर्गम क्षेत्र (वर्तमान खण्ड) में अपनी सेवा करने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	इनके द्वारा निजी चिकित्सालय के पर्चे की छायाप्रति संलग्न किया है।
13.	विरेन्द्र सिंह पंवार / 08.04.1988 / उत्तरकाशी	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है इनकी वृद्व माताजी का स्वास्थ्य विगत पॉच वर्षो से अत्यधिक खराब चल रहा है। तथा इनकी पत्नी का स्वास्थ्य भी विगत कुछ समय से खराब चल रहा है। इनके छोटे–छोटे बच्चे कक्षा एक और तीन में अध्ययनरत है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से अवमुक्त रखते हुए वर्तमान खण्ड में यथावत् रखने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण आवश्यक है तो निम्न खण्डों का विकल्प दिया है– 1. लघुडाल खण्ड उत्तरकाशी। 2. पीएमजीएसवाई सिं.ख. उत्तरकाशी। 3. अवस्थापना खण्ड उत्तरकाशी। 4. सिंचाई खण्ड पुरोला उत्तरकाशी। 5. पीएमजीएसवाई सिं.ख. चिन्यालीसौड़।	इनके द्वारा निजी चिकित्सालय के पर्चे की छायाप्रति संलग्न किया है।
14.	हरीश मेहरा / 10.02.84 / उत्तरकाशी /	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये अपने घर के इकलौते है एवं वृद्व माताजी जिनको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या है की सम्पूर्ण जिम्मेदारी इन पर ही है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से अवमुक्त रखते हुए वर्तमान खण्ड में यथावत् रखने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण आवश्यक है तो निम्न खण्डों का विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी। 2. लघुडाल खण्ड उत्तरकाशी। 3. पीएमजीएसवाई सिं.ख. उत्तरकाशी। 4. अवस्थापना खण्ड उत्तरकाशी। 5. पीएमजीएसवाई सिं.ख. चिन्यालीसौड़।	
15.	नरेन्द्र सिंह चौहान 18.10.86 / उत्तरकाशी	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन सिंचाई विभाग में शाखा सचिव है। इनके वृद्व माता–पिता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। ये दुर्गम क्षेत्र में सेवा करने के इच्छुक है। इनके द्वारा वर्तमान खण्ड में ही यथावत रखने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण आवश्यक है तो उत्ताकाशी मुख्यालय में ही करने की आपेक्षा की है।	अधिशासी अभियन्ता पीएमजीएसवाई सिं.खण्ड उत्तरकाशी द्वारा पत्रांक संख्या–661, दिनांक 19.05.2025 उक्त खण्ड में कार्मिकों की कमी के कारण श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, वरि0 सहायक को वर्तमान खण्ड में यथावत रखने का अनुरोध किया है।
16.	श्रीमती रेखा / 6.7.89 / पिथौरागढ	लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़		
17.	श्रीमती निर्मला राणा / 08.07.1986 / पौड़ी	लघुडाल खण्ड, उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनका 01 वर्ष का पुत्र है, जिसकी देखभाल इनके द्वारा की जाती है। ये तथा इनके पति दोनों ही एक ही जिले में कार्यरत है तथा ये जिला उत्तरकाशी में कार्यरत रहने की इच्छुक है। इनके द्वारा निम्न विकल्प दिया गया है–	इनके द्वारा निरीक्षक पुलिस दूरसंचार जनपद उत्तरकाशी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया

			1. लघुडाल खण्ड, उत्तरकाशी। 2. अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी। इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।	है।
18.	प्रवीन पयाल / 1.1.84 / टिहरी	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ		
19.	सुरेश महर / 05.11.1977 / उत्तरकाशी	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05.2025 द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग जनपद उत्तरकाशी के अध्यक्ष है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त जनपद शाखा के पदाधिकारियों की सूची मय विज्ञप्ति (छायाप्रति) सहित संलग्न है।
20.	भूपेन्द्र कुमार वर्मा / 8.8.88 / उ0नगर	सिंचाई खण्ड, नैनीताल		
21.	आशीष रावत / 10.5.95	सिंचाई खण्ड, नईटिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये 05.12.2017 से दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत है। ये वर्तमान में अपनी सेवायें दुर्गम क्षेत्र में करने के इच्छुक है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। स्थानान्तरण की स्थिति में इनके द्वारा निम्न विकल्प दिया है– 1. पीएमजीएसवाई, सिं.ख. प्रथम, नई टिहरी। 2. पीएमजीएसवाई सिं.ख. द्वितीय, नई टिहरी। 3. नलकूप खण्ड, देहरादून। 4. परियोजना खण्ड, देहरादून। 5. पीएमजीएसवाई, सिं.ख. देहरादून।	
22.	नरेन्द्र सिंह बिष्ट / 04.3.95 / पिथौरागढ़	सिंचाई खण्ड, धारचूला	अधिशासी अभियन्ता सिं.खण्ड धारचूला द्वारा अपने पत्र–852, दिनांक 06.05.2025अवगत कराया है कि इस खण्ड में कार्मिकों की अत्यन्त कमी हैं, साथ ही उक्त खण्ड दूरस्थ होने के कारण कोई भी कार्मिक यहॉं आने को इच्छुक नहीं होता है। वर्तमान में इस खण्ड के अन्तर्गत अतिमहत्वपूर्ण योजनायें गतिमान है। जिस कारण श्री नरेन्द्र सिंह, व0सहायक को स्थानान्तरण सत्र 2025 से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
23.	संजीव कुमार / 1.7.89 / नैनीताल	नलकूप खण्ड, रामनगर (दुर्गम क्षेत्र)	सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड ने पत्रांक संख्या–178, दिनांक 13.05.2025 द्वारा अवगत कराया है ये सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड जिला नैनीताल के जनपद सचिव है, जिस कारण इन्हें स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है।	सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त प्रान्तीय अध्यक्ष एवं महामंत्री की सूची चुनाव विज्ञप्ति की छाया प्रति संलग्न है।
24.	कुसुमपाल, 02–08–1980 / देरहादून	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ		
25.	इलम चन्द्र / 5.7.79 / टिहरी	सिंचाई खण्ड, पुरोला		
26.	दीपक त्रिपाठी / 25.11.71 / उ0प्र0	सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	माताजी का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने, एवं घर पर देख रेख हेतु कोई नहीं होने तथा दुर्गम क्षेत्र सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग में 04 वर्ष 06 माह से कार्यरत होने के कारण देहरादून के किसी भी सिंचाई कार्यालय में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया है।	इनकी माताजी के अनुरोध पर जिस पर मा0 मंत्री सिंचाई द्वारा स्थानान्तण सत्र में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया है। इनके द्वारा राजकीय दून मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट एवं पर्चा संलग्न किया है।
27.	श्रीमति मंजू राणा / 04.02.1970 / देहरादून	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चिन्यालीसौड़	इनके द्वारा अवगत कराया है ये वर्तमान खण्ड में 2021 से है। वर्तमान खण्ड में इन्हें 03 वर्ष से अधिक का समय पूर्ण हो चुका है। ये अपने पति के स्थान पर मृतक आश्रित के रूप में कार्यरत है। इनका घर देहरादून में है। इनके बच्चों की देखभाल करने वाला इनके अलावा कोई नहीं है। इनके द्वारा सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निम्न विकल्प दिया है– 1. परियोजना खण्ड देहरादून। 2. अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून।	
28.	अनिल कुमार / 10.06.	पी0एम0जी0		

	1987/ उ0नगर	एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चम्पावत		
29.	जयदीप पाण्डे /08.03.1995/उ0नगर	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	इनके द्वारा स्थानान्तरण हेतु निम्न विकल्प दिये है– 1. सिंचाई खण्ड सितारगंज। 2. पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड लोहाघाट। 3. सिंचाई खण्ड रूद्रपुर। 4. सिंचाई खण्ड हल्द्वानी।	
30.	विकास कुमार/ 06.08.1996/रूड़की	सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये दुर्गम क्षेत्र के वर्तमान खण्ड में कार्य करने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से मुक्त रखते हुए वर्तमान खण्ड में यथावत रखने का अनुरोध किया है। मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक सं–21, दिनांक 09.05.2025 द्वारा अवगत कराया है कि ये मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिचांई विभाग जनपद रूद्रप्रयाग के सचिव है, जिस कारण स्थानान्तरण 2025 से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त जनपद शाखा के पदाधिकारियों की सूची मय विज्ञप्ति (छायाप्रति) सहित संलग्न है।
31.	कुलदीप कुमार/27.12. 1990/चन्दौली	सिंचाई खण्ड, पुरोला	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनकी वृद्व माताजी डाकपत्थर में निवासरत है, जिनके देखरेख की सम्पूर्ण जिम्मेदारी इनके ऊपर है। इनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण पुरोला में कार्यरत रहते हुए माताजी की देखरेख नहीं कर पा रहे है। इनके द्वारा निम्नानुसार स्थानान्तरण 2025 हेत विकल्प दिया है:– 1. अवरस्थापना खण्ड डाकपत्थर। 2. सिंचाई खण्ड विकासनगर। 3. सिंचाई खण्ड अम्बाड़ी।	
32.	मयंक सिंघल/ 4.9.96/देहरादून	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ		
33.	महेश कुमार/01.07. 83/उ0नगर	सिंचाई खण्ड, धारचूला	अधिशासी अभियन्ता सिं.खण्ड धारचूला द्वारा अपने पत्र–852, दिनांक 06.05. 2025अवगत कराया है कि इस खण्ड में कार्मिकों की अत्यन्त कमी हैं, साथ ही उक्त खण्ड दूरस्थ होने के कारण कोई भी कार्मिक यहॉ आने को इच्छुक नहीं होता है। वर्तमान में इस खण्ड के अन्तर्गत अतिमहत्वपूर्ण योजनायें गतिमान है। जिस कारण श्री महेश कुमार, व0सहायक को स्थानान्तरण सत्र 2025 से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
कनिष्ठ सहायक				
1.	प्रदीप सजवाण/07.11. 71/टिहरी	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, नई टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में इन्हें लगभग 02 वर्ष का समय हो चुका है। ये कर्मचारी महासंघ, नई टिहरी शाखा में शाखा अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। ये वर्तमान खण्ड (दुर्गम क्षेत्र) में ही पदस्थापित रहने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से इन्हें स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है। यदि स्थानान्तरण अनिवार्य है तो दुर्गम क्षेत्र नई टिहरी के निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में करने का विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड, नई टिहरी। 2. पीएमजीएसवाई, सिं.ख.–1, नई टिहरी। 3. पीएमतजीएसवाई सिं.ख–02, नई टिहरी।	
2.	मंगल सिंह/10.04.72/ उत्तरकाशी	लघुडाल खण्ड उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये वर्तमान समय में दुर्गम की सेवा करने के इच्छुक है। इनके द्वारा माह जुलाई 2024 में कार्यालय नलकूप खण्ड देहरादून से लघुडाल खण्ड उत्तरकाशी में स्वंय के आधार पर स्थानान्तरण लिया है। वर्तमान कार्यालय में एक वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं हुई है। एवं ये वर्तमान कार्यालय में ही सेवा करने के इच्छुक है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया गया है। यदि स्थानान्तरण आवश्यक है तो निम्न स्थानों में से किसी एक स्थान पर स्थानान्तरण का विकल्प दिया है– 1. पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी। 2. अवस्थापना खण्ड उत्तरकाशी। 3. सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी।	
3.	श्रीमती नन्दा देवी/10.02. 80/उत्तरकाशी	लघु डाल खण्ड, उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये अपने पति के स्थान पर मृतक आश्रित के रूप में कार्यरत है। इनकी सास जिनकी आयु लगभग 90 वर्ष है और वह शारिरिक रूप से अस्वस्थ एवं ऑखों से भी नहीं देखती है उनकी एवं समस्त परिवार की जिम्मेदारी उन पर ही है। एकल अभिभावक होने के कारण ये	

			जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में ही कार्य करने की इच्छुक है। इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण आवश्यक है तो मुख्यालय उत्तरकाशी के अन्तर्गत निम्न स्थानों में से किसी एक स्थान पर स्थानान्तरण का अनुरोध किया है:- 1. लघु डाल खण्ड, उत्तरकाशी। 2. सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।	
4.	राहुल उप्रेती / 02.06.87	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में इन्हें 02 वर्ष से भी कम का समय हुआ है, और ये दुर्गम में ही सेवा करने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
5.	श्रीमती गीता आर्या / 30.06.80 / अल्मोड़ा	लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा		
6.	अनूप सिह चौहान / 25.06.83 / नैनीताल	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका पुत्र जिसकी आयु 01 वर्ष है के जन्म लेने के उपरान्त से ही इनकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है। उनका उपचार अल्मोड़ा में चल रहा है। जिस कारण इनके द्वारा शासनादेश स्थानान्तरण सत्र 2025 से इन्हें स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।	
7.	शिवराज सिंह बजेठा / 04.06.77 / अल्मोड़ा	लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा	इनके द्वारा अवगत कराया है कि पारस्परिक स्थानान्तरण के पश्चात् वर्तमान खण्ड में इन्हें कुल 01 वर्ष 06 माह की सेवा ही पूर्ण हुई है तथा ये दुर्गम क्षेत्र में ही कार्य करने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 से इन्हें स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।	
8.	श्रीमती सरस्वती देवी / 03.06.74 / बागेश्वर	पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड, बागेश्वर		
9.	मकान सिंह खरोला / 12.01.90 / टिहरी	पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में इन्हें 03 वर्ष के लगभग का समय हो चुका है। ये वर्तमान खण्ड (दुर्गम क्षेत्र) में कार्य करने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करते हुए वर्तमान खण्ड में यथावत रखने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण अनिवार्य है तो मुख्यालय नई टिहरी के निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में करने का विकल्प दिया है– 1. सि.खण्ड नई टिहरी। 2. अवस्थापना खण्ड, नई टिहरी। 3. पीएमजीएसवाई सिं.ख. द्वितीय नई टिहरी। 4. पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड चम्बा।	
10.	विनोद सिंह राणा / 01.01.92 / उत्तरकाशी	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी		
11.	विनोद कुमार जोशी / 09.06.87 / नैनीताल	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, ज्योलीकोट, नैनीताल	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में इनकी 03 वर्ष 01 माह की ही सेवा हुई है तथा ये वर्तमान खण्ड (दुर्गम) मे ही सेवा करने के इच्छुक है। स्थानान्तरण 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
12.	कैलाश सिंह रावत / 2.6.87	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–2, नईटिहरी	इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण हेतु निम्न ऐच्छिक स्थानों का विकल्प दिया है– 1. परियोजना खण्ड, ऋषिकेश। 2. सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर। 3. सिंचाई खण्ड, देहरादून। 4. अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, ऋषिकेश। 5. पीएमजीएसवाई, सिं.ख. देहरादून। 6. सिंचाई खण्ड, हरिद्वार। 7. नलकूप खण्ड, देहरादून।	
13.	नितिन कुमार / 15.7.90 / उ0नगर	लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि ये मूलरूप से जसपुर के रहने वाले है, इनकी माता जी का स्वास्थ्य ठीन न होने के कारण बार–बार काशीपुर आना पड़ता है। जिस कारण	

			स्थानान्तरण सत्र 2025 में सिंचाई खण्ड काशीपुर में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया है।	
14.	हरीश चन्द्र / 30.06.98 / बागेश्वर	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष पूर्ण करने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण आवश्यक है तो दूर्गम क्षेत्र में स्थित निम्न खण्ड में स्थानान्तरण की आपेक्षा की है– 1. पीएमजीएसवाई सिं.खण्ड बागेश्वर।	
15.	श्रीमती शाइस्ता / 05.07.1997 / देहरादून	सिंचाई खण्ड कालसी (उपखण्ड–02 चकराता)		Ref. S-07
16.	सन्दीप कुमार / 16.01.91 / उत्तरकाशी	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चिन्यालीसौड		
17.	दीपक कुमार / 17.11.98 / देहरादून	अवस्थापना (पुर्न) खण्ड, नईटिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में 06 वर्ष 01 माह 23 दिन का समय हुआ है। ये मूलरूप से ऋषिकेश के रहने वाले है। इनके द्वारा सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निम्न विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर। 2. परियोजना खण्ड ऋषिकेश। 3. सिंचाई खण्ड, देहरादून। यदि स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र में सम्भव न हो तो वर्तमान खण्ड में यथावत रखने का अनुरोध किया है।	
18.	नौबहार सिंह / 15.07.87 / बिजनौर	लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़	इनके द्वारा अवगत कराया है कि चयन वर्ष 2025 के आधार पर इनकी कनिष्ठ सहायक के पद पर 06 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त इसी वर्ष वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र है तथा ये पदोन्नति होने तक दुर्गम क्षेत्र (वर्तमान खण्ड) में ही सेवा करने के इच्छुक है। स्थानान्तरण सत्र 2025 में दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
19.	अनुराग मटूड़ा / 20.06.99 / उत्तरकाशी	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी		
20.	मनीष बोहरा / 02.05.2000 / नैनीताल	लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़		
21.	दीपक पन्त / 10.07.2000 / पौडी	सिंचाई खण्ड, थराली	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनके माता पिता का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है इनकी 02 बहनें जो यमुना कालोनी देहरादून में रखकर अपनी पढ़ाई कर रही है, इन पर आश्रित है, उनकी देखभाल हेतु इनको अपने मुख्यालय से देहरादून आना जाना पड़ता है, जिससे व्यय अधिक होता है। जिस कारण इनके द्वारा अनुरोध के आधार पर निम्नानुसार स्थानान्तरण 2025 हेतु विकल्प दिया है:– 1. अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून। 2. परियोजना खण्ड देहरादून। 3. पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड देहरादून।	
22.	लक्ष्मण सिंह / 10.04.88 / उ0नगर	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा		
23.	करन सिंह राणा / 26.03.2001 / चमोली	अवस्थापना (पुर्न) खण्ड, नईटिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में 05 वर्ष 09 माह 22 दिन का समय व्यतीत हो चुका है। इनकी वर्ष 2026 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति होनी है। पदोन्नति के उपरान्त ही ये अपना स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र में कराने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करते हुए वर्तमान खण्ड में यथावत् रखने का	

			अनुरोध किया है। यदि स्थानान्तरण अनिवार्य है तो निम्न विकल्प दिये है– 1. सिंचाई खण्ड देहरादून। 2. परियोजना खण्ड देहरादून। 3. नलकूप खण्ड देहरादून। 4. अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून।	
24.	श्रीमती रामदीपी / 06.06.92 / टिहरी	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी		
25.	श्रीमती रजनी कुकरेती / 02.06.90 / हरिद्वार / सामान्य	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि ये दुर्गम क्षेत्र में कार्य करना चाहती है। इसकी अतिरिक्त ये अपनी छः माह की बालिका के साथ श्रीनगर गढ़वाल में निवासरत है, जिसकी देखभाल इनके द्वारा अकेले की जाती है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इन्हें स्थानान्तरण से मुक्त रखते हुए वर्तमान खण्ड (सिंचाई खण्ड, श्रीनगर) में ही यथावत् रहने का अनुरोध किया है।	
26.	श्रीमती रेनू रावत / 25.07.88 / नैनीताल	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा		
27.	श्रीमती कौशल्या देवी / 15.05.75 / नैनीताल / सामान्य	सिंचाई खण्ड, कपकोट	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये सिंचाई खण्ड कपकोट में 05 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है। इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण हेतु सुगम क्षेत्र के निम्न कार्यालयों का विकल्प दिया है– 1. नलकूप खण्ड रामनगर। 2. सिंचाई खण्ड रामनगर।	
28.	टीना पलडिया / 04.02.1988 / नैनीताल	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये एकल अभिभावक (विधवा) है, बच्चों सहित वृद्व माता जी व परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	
29.	रणवीर सिंह / 15.03.89 / पौड़ी	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बैजरो		
30.	अभिषेक धपोला / 20.12.99 / अल्मोड़ा सामान्य	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा		
31.	श्रीमती प्रीती / 22.07.94 / देहरादून	सिंचाई खण्ड कालसी (कोटी उपखण्ड)	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये एकल अभिभावक है एवं अपने 03 बच्चों की देखभाल भी इनके द्वारा की जाती है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण पात्रता सूची–2025 से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	Ref. 5-09
32.	श्री अमित असवाल / 8.8.94 / टिहरी / सा0	सिंचाई खण्ड, पुरोला	इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इनका स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र के निम्न कार्यालय में से किसी एक कार्यालय में करने का विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड, कालसी (अम्बाड़ी)। 2. सिंचाई खण्ड विकासनगर। 3. अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर।	
33.	श्रीमती गीता बिष्ट / 10.07.82 / अल्मोड़ा	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा		
34.	अर्जुन कुमार / 01.07.92 / हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा		
35.	श्रीमती शिखा चौहान / 27.07.93 / देहरादून	सिंचाई खण्ड कालसी (चकराता उपखण्ड)		Ref. 5-10
36.	विपिन सिंह पिल्खवाल / 21.	पी0एम0जी0		

	06.88 / बागेश्वर	एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर		
37.	अमन / 08.11.2001 /	लघुडाल खण्ड़, उत्तरकाशी		
38.	श्रीमती सुषमा भण्डारी / 02.03.84 / टिहरी	लघु डाल खण्ड़, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत करया है कि इन्हें वर्तमान कार्यालय में 04 वर्ष 09 माह का समय हुआ है। इनके तीन बच्चें है, एकल अभिभावक होने के कारण बच्चों की देखभाल इन्हें अकेले ही करनी पड़ती है। ये बच्चों की शिक्षा हेतु सुगम क्षेत्र देहरादून में स्थानान्तण की इच्छुक है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तण सत्र 2025 में इनका स्थानान्तरण देहरादून मुख्यालय के निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में करने का विकल्प दिया है– 1. नलकूप खण्ड, देहरादून। 2. परियोजना खण्ड, देहरादून। 3. अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून।	
39.	राहुल पंवार / 16.03.99 / देहरादून	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–2, नईटिहरी	इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण हेतु निम्न ऐच्छिक स्थानों का विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड, देहरादून। 2. सिंचाई खण्ड, हरिद्वार। 3. सिंचाई खण्ड, नई टिहरी। 4. सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर। 5. पीएमजीएसवाई, सिं.ख. दे.दून। 6. नलकूप खण्ड देहरादून। रज	
40.	मनीष / 18.09.98 / पौडी /	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर		
41.	सौरभ कुमार / 20.06.2002 / हिमाचल प्रदेश	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बैजरो		
42.	सुशांत सिंह नेगी / 01.11.97 / देहरादून	पी0एम0जी0 एस0वाई सिंचाई खण्ड–2, श्रीनगर		
43.	कमल चन्द्र / 11.06.91 / नैनीताल	सिंचाई खण्ड़, नैनीताल		
44.	शान्तनु थापा / 06.11.89 / देहरादून	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, पुरोला		
45.	राकेश लाल / 15.05.91 / उत्तरकाशी	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी		
46.	श्री गजेन्द्र / 14.07.02 / देहरादून /	सिंचाई खण्ड, पुरोला	इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इनका स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र के निम्न कार्यालय में से किसी एक कार्यालय में करने का विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड, कालसी (अम्बाड़ी)। 2. सिंचाई खण्ड विकासनगर। 3. अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर। 4. सिंचाई खण्ड, देहरादून।	
47.	श्रीमती सुमन बजेठा / 17.10.83 / नैनीताल	सिंचाई खण्ड, नैनीताल		

48.	राजेश धानिक / 01.03.93	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में 04 वर्ष का ही समय हुआ है और ये वर्तमान खण्ड में ही सेवा करने के इच्छुक है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
49.	पवन कुमार / 11.06.89 / उ0नगर / सामान्य	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट		
50.	श्रीमती शैला पारिख / 15.05.79 / देहरादून	सिंचाई खण्ड कालसी (त्यूनी उपखण्ड)	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये **एकल अभिभावक** है एवं अपने 10 वर्षीय बेटे की पढ़ाई लिखाई, देखरेख इनके द्वारा की जाती है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	Ref. S-11
51.	कमल आर्या / 24.06.93 / नैनीताल	सिंचाई खण्ड, नैनीताल		
52.	नितिन बोरा / 06.08.88 / नैनीताल	सिंचाई खण्ड, नैनीताल		
53.	ज्योती भारती / 12.05.83	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी		
54.	श्रीमती जानकी जोशी / 26.04.84 / नैनीताल	सिंचाई खण्ड, नैनीताल		
55.	विशाल शर्मा / 01.07.1997 / बिजनौर /	सिंचाई खण्ड रानीखेत	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनकी माताजी नेत्र रोग से पीड़ित है। जिस कारण इनके द्वारा दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरित किये जाने की वॉछना की है– 1. सिंचाई खण्ड, कोटद्वार। 2. सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर। 3. सिंचाई खण्ड, सितारगंज। 4. नलकूप खण्ड, बाजपुर। 5. सिंचाई खण्ड काशीपुर। 6. सिंचाई खण्ड हरिद्वार। 7. सिंचाई खण्ड रूड़की। 8. सिंचाई खण्ड रामनगर। 9. प्रशासन खण्ड रूड़की। 10. नलकूप खण्ड, रूड़की।	इनके द्वारा निजी अस्पताल का नेत्र से सम्बन्धित चिकित्सा पर्ची की छायाप्रति संलग्न की है।
56.	जितेन्द्र सिंह / 10.05.83 / टिहरी /	सिंचाई खण्ड, पुरोला	इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इनका स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र के निम्न कार्यालय में से किसी एक कार्यालय में करने का विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड, कालसी (अम्बाड़ी)। 2. सिंचाई खण्ड विकासनगर। 3. अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर।	
57.	श्रीमती यशोदा / 23.02.86 / पौंडी	सिंचाई खण्ड कालसी (चकराता उपखण्ड)	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये **एकल अभिभावक** है एवं अपने 05 वर्षीय बेटी की पढ़ाई लिखाई, देखरेख इनके द्वारा की जाती है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया है।	Ref. S-12
58.	रासिद / 10.10.92 / सहारनपुर	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी		
59.	पंकज कुमार / 07.02.88 / हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये 10 मई 2021 से कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। इनको वर्तमान खण्ड में 03 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। ये स्थानान्तरण सत्र 2025 में दुर्गम से दुर्गम में ही सेवा करने के इच्छुक है। यदि दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण होना अनिवार्य है तो इनके द्वारा निम्न में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तण का विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड, टिहरी।	

			2. पीएमजीएसवाई–प्रथम नई टिहरी। 3. स्थापना खण्ड, रूड़की। 4. सिंचाई खण्ड, रूड़की। 5. नलकूप खण्ड रूड़की।	
60.	श्रीमती स्वाती वर्मा/03.03.89/हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि ये वर्तमान कार्यालय में 03 जून 2021 से कार्यरत है। वर्तमान कार्यालय में इनको 04 वर्ष से कम का समय हुआ है तथा ये दुर्गम क्षेत्र (वर्तमान) खण्ड में रहने की इच्छुक है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
61.	सुरेश डड्डा/08.01.86/उडीसा	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चम्बा		
62.	दिवेश नेगी/15.01.2001/देहरादून	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड जखोली		
63.	सचिन/04.05.85/पौड़ी	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी		
64.	सूर्यकान्त रतूडी/5.7.87/टिहरी/	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–1, टिहरी		
65.	सुरेन्द्र कुमार/19.06.82/हरिद्वार	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चिन्यालीसौड़		
66.	सरूज बहादुर/04.07.88/देहरादून	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चम्बा		
67.	अभिषेक कुमार/23.06.93/हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, थराली		
68.	श्रीमती सुधा रावत/02.06.68/नैनीताल/	सिंचाई खण्ड, रानीखेत		
69.	मनोज कुमार/07.27.75/देवरिया	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, नई टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में 03 वर्ष से अधिक का समय पूर्ण हो गया है। ऐच्छिक वार्षिक स्थानान्तरण हेतु इनके द्वारा निम्न सुगम खण्डों का चयन किया गया है– 1. परियोजना खण्ड यमुना कालोनी देहरादून। 2. नलकूप खण्ड देहरादून। 3. सिंचाई खण्ड, देहरादून। 4. पीएमजीएसवाई सिं.ख. देहरादून।	
70.	दिलशाद अहमद/14.04.79/हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, चमोली	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका परिवार रूड़की में निवासरत है, सिंचाई खण्ड चमोली अत्यन्त दूरस्थ होने के कारण इनका अपने परिवार के दायित्वों का निर्वाहन करने में अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी पत्नी का स्वास्थ्य अधिकतर अस्वस्थ रहता है, जिस कारण इनको अपनी पत्नी को बार बार अस्पताल ले जाना पड़ता है। इनकी 04 नाबालिग पुत्रियॉं हौ, जिनकी देखरेख की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। जिस कारण इनके द्वारा स्थानान्तरण हेतु निम्न विकल्प दिये है– 1. सिंचाई खण्ड रूड़की। 2. प्रशासन खण्ड, रूड़की। 3. परिकल्प खण्ड, रूड़की।	

			4. नलकूप खण्ड रूड़की।	
71.	सुभाषदीन हैरी/ 23.06.81/देहरादून	सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग		
72.	गोपाल बहादुर/20.10.82/देहरादून	पी0एम0जी0 एस0वाई सिंचाई खण्ड–2, श्रीनगर		
73.	जयप्रकाश/02.03.83/देहरूदन	पी0एम0जी0 एस0वाई सिंचाई खण्ड–2, श्रीनगर		
74.	सोबन सिंह नेगी/01.12.69/पौड़ी	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड जखोली	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका परिवार कोटद्वार में निवासरत है। इनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है, जखोली में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव के कारण ये अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकते इनकी सेवानिवृत्ति के 04 साल शेष है, जिस कारण इनके द्वारा इनका स्थानान्तरण सत्र 2025 में स्थानान्तरण पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड, कोटद्वार में किये जाने का अनुरोध किया है।	
75.	हरि प्रसाद/25.05.77/पौडी	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, नई टिहरी	इनके द्वारा अवगत कराया है वर्तमान खण्ड में इनकी 03 वर्ष 09 माह 18 दिन की सेवायें हो चुकी है। इनकी पत्नी रसोली सम्बन्धी बीमारी से पीड़ित है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में सुगम क्षेत्र के निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण करने का विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड विकासनगर। 2. सिंचाई खण्ड कालसी। 3. अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर। यदि स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र में सम्भव न हो तो वर्तमान खण्ड में यथावत् रखने की आपेक्षा की है।	
76.	आदित्य उनियाल/08.06.2000/टिहरी	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इन्हें वर्तमान कार्यालय में 03 वर्ष 09 माह 20 दिन का समय हुआ है। ये इस खण्ड के अलावा दुर्गम क्षेत्र के किसी भी अन्य खण्ड में स्थानान्तरण पर जाने के इच्छुक नहीं है। यदि इस खण्ड में इनका स्थानान्तरण सम्भव नहीं है तो इनके द्वारा निम्न सुगम क्षेत्र के किसी भी एक खण्ड में स्थानान्तरण का विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड, विकासनगर। 2. अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर। 3. सिंचाई खण्ड, कालसी।	
77.	रमेश कश्यप/01.01.85	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी		
78.	गोपाल दत्त पोखरियाल/ 05.03.85/नैनीताल	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, ज्योलीकोट, नैनीताल	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड में इनकी 03 वर्ष 04 माह की ही सेवा हुई है तथा ये वर्तमान खण्ड (दुर्गम) मे ही सेवा करने के इच्छुक है। स्थानान्तरण 2025 में स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।	
79.	नन्दन सिंह/02.10.78/उ0नगर/	सिंचाई खण्ड, रानीखेत	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इनका घर रूद्रपुर में है। इन्होंने वर्तमान खण्ड में लगभग 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। इनकी 70 वर्षीय माता जी का मानसिक उपचार हल्द्वानी से चल रहा है। इनके द्वारा दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु निम्न विकल्प दिये है– 1. सिंचाई खण्ड रूद्रपुर। 2. सिंचाई खण्ड, सितारगंज। 3. नलकूप खण्ड बाजपुर।	इनके द्वारा निजी चिकित्सालय का ओपीडी का पर्चा संलग्न किया है।
80.	राजेन्द्र सिंह बिष्ट/03.01.91/नैनीताल/	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर		
81.	संजीव कुमार/05.04.80/बरेली	पी0एम0जी0 एस0वाई0		

		सिंचाई खण्ड, लोहाघाट		
82.	सुनील कुमार / 01.01.89 / छपरा	पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड, चम्पावत		
83.	राकेश कुमार / 05.06.73 / मुरादाबाद	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा		
84.	श्रीकृष्ण सिंह राणा / 11.05.1988 / ऊ.सिंह.नगर /	नलकूप खण्ड, टनकपुर (दुर्गम क्षेत्र)		
85.	सन्दीप रावत / 05.01.95 / पौड़ी	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा		
86.	सुमन श्रीकोटी / 01.07.2002 / टिहरी /	पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी		
87.	योगेश कुमार / 12.04.94 / उ0नगर /	सिंचाई खण्ड, रानीखेत		
88.	सुमित बिष्ट / 08.07.98 / उत्तरकाशी	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चिन्यालीसौड़		
89.	आशुतोष नयाल / 03.04.84 / रूद्रप्रयाग	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ		
90.	राजेश सिंह / 30.04.89 / देहरादून /	सिंचाई खण्ड, कपकोट		
91.	मोहित / 15.05.90 / देहरादून	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	इनके द्वारा अवगत कराया है कि इन्हें वर्तमान कार्यालय में 03 वर्ष 05 माह का समय हुआ है। ये सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण के इच्छुक नहीं है। इनके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025 में इनका स्थानान्तरण श्रीनगर मुख्यालय पर स्थित किसी एक खण्ड में करने का अनुरोध किया है।	
92.	नीरज बोरा / 05.03.91 / अल्मोडा /	सिंचाई खण्ड, कपकोट		
93.	संजय कुमार / 10.05.91 / नैनीताल	पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड, चम्पावत		
94.	रमेश सिंह / 02.01.84 / उत्तरकाशी /	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी		
95.	मुजम्मिल खान / 24.11.93 / देहरादून	सिंचाई खण्ड,	इनके द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान खण्ड (दुर्गम क्षेत्र) में 03 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। इनका परिवार मूलरूप से डाकपत्थर में	

		केदारनाथ	निवासरत है। इनकी माताजी का स्वास्थ्य निरन्तर खराब चल रहा है। इनके पिताजी के देहान्त के बाद परिवार में अन्य कोई पुरूष न होने के कारण परिवार का सम्पूर्ण दायित्व इन पर ही है। इनकी एक पत्नी तथा 06 माह का छोटा बच्चा है। जिस कारण स्थानान्तरण सत्र 2025 में निम्न खण्डों में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण का विकल्प दिया है– 1. सिंचाई खण्ड कालसी। 2. सिंचाई खण्ड विकासनगर।	

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता